खण्ड–7, अंक–4
बुधवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1924
(18 दिसम्बर, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

— 0 —

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2002)

(खण्ड 7 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
त सदस्यों की सूची	क
13-12-2002 को भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा ठीचार्ज किये जाने सम्बन्धी विषय पर नियम 311 के अन्तर्गत र्चा की मांग	1-4
र	4-50
में गूजर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा प्रदान करने के बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
रामदत्त जोशी, पूर्व सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निधन शोकोद्‌गार	51
सत्र 2002 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के तर के संदर्भ में काजी निजामुद्‌दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा ननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना श्री अध्यक्ष का निर्णय	51-52
में व्यवधान उत्पन्न करने तथा पीठ के आदेशों की अवहेलना रने के सम्बन्ध में "भारतीय जनता पार्टी" के मा0 सदस्यों के रुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना...	52-65
विधान सभा क्षेत्र हेतु सड़क निर्माण के लिए एक-एक करोड़ पये की व्यवस्था की घोषणा	65
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	65-72
विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कॉलेज प्राथमिकता आधार पर खोले जाने हेतु आय-व्ययक में विशेष प्राविधान ज्ये जाने विषयक संकल्प - (चर्चा जारी)	72-73
51 के अन्तर्गत सूचनाएं	73
को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक स्ताव - (स्वीकृत)	73-75
ान	76

उत्तरांचल विधान सभा

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची :–

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. (डा0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. श्री काशी सिंह ऐरी
10. श्री किशोर उपाध्याय
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री कौल दास
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15. श्री गोविन्द लाल
16. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. श्री चन्द्रशेखर
18. श्री जोत सिंह गुनसोला
19. श्री तसलीम अहमद
20. श्री तिलक राज बेहड़
21. श्री तेजपाल सिंह रावत
22. श्री दिनेश अग्रवाल
23. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. श्री नव प्रभात
25. श्री नारायण पाल
26. श्री नारायण राम आर्य
27. श्री नारायण सिंह जंतवाल
28. श्री प्रकाश पंत
29. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. डा0 प्रताप विष्ट
31. श्री प्रदीप टम्टा
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रीतम सिंह पंवार
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री फूल सिंह बिष्ट
36. श्री बलबीर सिंह नेगी
37. श्री विजय पाल सिंह सजवाण
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री भगत सिंह कोश्यारी
40. श्री मदन कौशिक
41. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
42. श्री महेन्द्र भट्ट
43. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
44. श्री मातबर सिंह कण्डारी
45. श्री माल चन्द
46. चौधरी यशवीर सिंह
47. श्री रणजीत सिंह
48. श्री रैस्सैल वैलनटाइन गार्डनर
49. श्री राम प्रसाद टम्टा
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52. श्री शूरवीर सिंह
53. श्री शहजाद
54. श्री साधू राम
55. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
57. डा0 हरक सिंह रावत
58. श्री हरबंस कपूर
59. श्री हरिदास
60. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61. श्री हीरा सिंह बिष्ट
62. श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

दिनांक 13–12–2002 को भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी–चार्ज किये जाने सम्बन्धी विषय पर नियम 311 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें प्रश्न काल होने दीजिए मैं सबकी बातों को सुन लूँगा।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, विगत 3 दिनों से विपक्ष द्वारा सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है इसकी एक नोटिस हमने दी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपके अनुरोध पर मैंने विपक्ष के सदस्यों को बैठने के लिए कह दिया है कृपया अब मेरी बात को सुन लें।

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि इस सदन में हमारे बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो कि पूर्व में विधान सभा तथा विधान परिषद् सदस्य रह चुके हैं, ऐसे अनुभवी माननीय सदस्य यहां पर हैं, सदन में बैठे हैं। पिछले 3 दिन से जिस ढंग से विधान सभा के अन्दर तथा बाहर घटनाएं घटित हो रहीं हैं उन्हें हम में से कोई भी ठीक नहीं समझता है, मान्यवर मैं भी कुछ समय के लिए सत्ता पक्ष में रहा हूँ और हमारे सभी लोग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपकी हम लोगों पर सदाशयता रही है कल आपने हमको सुना, श्री काशी सिंह ऐरी जी को भी सुना। मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा कराई जाये तभी हम लोगों का सदन में बैठना सार्थक होगा। मान्यवर हमारे बसपा के माननीय सदस्यगण गन्ना पर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे श्री बलबीर सिंह नेगी जी भी एक विषय पर चर्चा चाह रहे हैं, मान्यवर, बार–बार सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन को चलाने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है हम चाहते हैं कि सदन चले चर्चा हो, मान्यवर, इस बिन्दु पर हमें आपका संरक्षण चाहिए।

माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर हैं। जब ये विधान परिषद् सदस्या थीं मैं भी वहां पर सदस्य था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में थी तो आपको ज्ञात होगा कि जब नेता प्रतिपक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा जी बोलते थे, तो हम लोग कितनी तन्मयता से घण्टों तक उनको सुनते थे, इसी सदन में भी जब हम सत्ता पक्ष में थे तो श्री मुन्ना सिंह चौहान जी को हम लोग सुनते थे। मान्यवर, चर्चा होती थी और अब चर्चा होगी

तभी हमारा पक्ष आ पायेगा, कल श्री हरबंस कपूर जी कह रहे थे कि श्री मुन्ना सिंह चौहान होते तो अच्छा होता तो मैंने कहा कि वह भी क्या कर लेते जब चर्चा ही नहीं कराई जा रही है तो कोई सदस्य क्या करेगा?

माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठी हैं।

मान्यवर, विपक्ष में पिछली बार केवल 7 माननीय सदस्य थे। लेकिन फिर भी रात 11–11 बजे तक सदन चला। माननीय प्रकाश पंत जी माननीय अध्यक्ष पीठ पर थे। यदि विपक्ष के कोई माननीय सदस्य यह कह देते थे कि इस विषय पर चर्चा करायी जाए, तो उसके लिए हम तैयार रहते थे। हम यह चाहते थे कि जनता के सामने सही बात आ जाए इसके लिए 311 पर चर्चा करने में हमें कोई परहेज नहीं था। मान्यवर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आप यह निर्णय दे सकते हैं कि इस पर आधा घण्टा या एक घण्टा चर्चा करा ली जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा कराना ही नहीं चाहता है। उस दिन जब माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रही थी, तब हमारी तरफ से कोई उत्तेजना नहीं दिखाई गयी। लेकिन हमें यह देख कर बहुत दुःख हुआ कि माननीया मंत्री जी ने पुलिस की लिखी हुई रिपोर्ट यहां पर पढ़कर सुना दी। मुझे अच्छी तरह याद है एक ओर बाहर पुलिस हमारे विधायकों को पीट रही थी फिर भी हमने यह नहीं कहा कि डी0एम0 या एस0एस0पी0 को बर्खास्त किया जाय, हमारी मांग सिर्फ यह थी कि मामले की न्यायिक जांच करायी जाय। सारी दुनिया ने देखा कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं और निर्दोष जनता पर लाठी–चार्ज किया लेकिन माननीया मंत्री जी कहती हैं कि पुलिस ने लाठी–चार्ज नहीं किया बल्कि जमीन पर लाठियां पटकीं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां से किसी ने पत्थर नहीं फेंके। हो सकता है किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। आन्दोलन के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसा कि पिछली बार शिक्षकों के आन्दोलन के दौरान हो गया था। मान्यवर, हम यहां पर किस तरह की परम्परा डालना चाहते हैं। हमारे एक माननीय विधायक लाठी–चार्ज से घायल हो गए, माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी उन्हें देखने आती हैं। उसके बाद डी0जी0पी0 साहब सारे विधायकों के सामने यह कहते हैं कि इसकी पट्टी उतारो।

(शेम–शेम की ध्वनि आयी)

हमारे एक माननीय विधायक का इस तरह अपमान किया गया और सरकार उस पर गर्व का अनुभव कर रही है। इसी प्रकार माननीय निशंक जी को हर कोई जानता है, फिर भी एक पुलिस वाला बार–बार उनके पेट पर मारता है। जब निशंक जी ने पुलिस वाले से कहा कि मैं तुमको देख लूँगा। तो पुलिस वाला कहता है कि जिन्दा रहोगे तभी तो देखोगे।

(शेम–शेम की ध्वनि आयी)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह बताने की कृपा करें कि किस विषय पर चर्चा हो रही है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार में किसी मंत्री का हाथ था या किसी और का हाथ था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय कोश्यारी जी मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल होने दीजिए, कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए।

(घोर व्यवधान)

*श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमें चर्चा का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी मैं आपकी बात नियमों के तहत सुनने को तैयार हूँ, मेरा आपसे निवेदन है आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप समय निर्धारित कर दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी की बात सुनने को तैयार हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आज अन्तिम दिन है, कृपया प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

हम पूरे दिन के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के श्री प्रीतम सिंह पंवार सदन का बहिष्कार कर सदन से बाहर आ गये)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्नकाल प्रति पक्ष का होता है और सत्ता पक्ष का भी होता है। इन्होंने प्राथमिक स्टेज पर भी हस्तक्षेप किया, यह गलत परम्परा पड़ रही है। यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स किया जा रहा है।

मान्यवर "वेल" में बैठना भी सदन की अवमानना है। स्पीकर को फोर्स करना कि पहले हमारी बात को सुनें यह भी सदन की अवमानना है। चर्चा तो तभी स्वीकार की जायेगी जब आप सरकार का पक्ष सुनेंगें यदि वे सरकार के पक्ष से संतुष्ट न हों तो चर्चा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप द्वारा स्वीकार की जायेगी लेकिन यह क्या कि सदन प्रारम्भ होते ही "आप हमारी बात को सुनें, चर्चा करायें अगर आप हमको नहीं सुनेगें तो हमारा दल सदन का बहिष्कार करेगा" यह तो चेयर को धमकाने की बड़ी गंभीर परम्परा है, सदन का अपमान है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि काशी सिंह ऐरी जी कुछ कहना चाहते हैं कृपया उनको सुन लें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि न केवल आप उनकी 311 की सूचना को सुनें बल्कि नारायण पाल जी तथा बलबीर सिंह नेगी जी की सूचना को भी 311 में सुनने का अनुरोध किया। आपने बड़ी सदाशयता से कृपा करके उनको सुना। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि आपकी व्यवस्था आने के बाद भी सरकार की ओर से व्यवधान डाला गया कि आप नियम 311 के अन्तर्गत किसी की बात को न सुनें। सरकार के इस मन्तव्य के विरोध में अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री काशी सिंह ऐरी, नारायण सिंह जंतवाल तथा विपिन चन्द्र त्रिपाठी सदन त्याग कर चले गये)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार तो व्यवधान डाल ही नहीं सकती।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी में भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित ऊन की विक्रय विषयक

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 पर श्री विजयपाल सिंह सजवाण जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, उन्होंने मुझे अधिकृत किया है।

**1–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या पशुपालन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी में भेड़ पालकों द्वारा उत्पादन किये जा रहे ऊन का विक्रय सरकार द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या यह सत्य है कि पूर्व में उद्योग विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऊन विक्रय की व्यवस्था की जाती रही है?

क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में भेड़ पालक भुखमरी के कगार पर हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भेड़ पालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऊन के विक्रय की व्यवस्था करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विकास मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यरूप से पशुओं के चिकित्सा एवं नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है, पशु पालकों द्वारा उत्पादित ऊन के विक्रय का कार्य पशुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

जी हाँ।

ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित तारांकित प्रश्न

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मन्दिर के पीछे नदी के कटाव से हो रहे भू–स्खलन

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर श्रीमती आशा नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थी।)

*1–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री केदारनाथ मन्दिर के पीछे नदी के कटाव से हो रहे भू–स्खलन को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उस योजना का स्वरूप क्या है?

बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

जी हाँ।

कटाव को रोकने के लिए सीमेंट–कंक्रीट ब्लाक/वायरक्रेट का प्रयोग किया जायेगा। इसमें अनुमानित व्यय रु0 15.00 लाख होगा।

तारांकित प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 11 तक माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर, सभी माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।)

जनपद टिहरी गढ़वाल में भागीरथीपुरम्–कोटी कालोनी सड़क मार्ग पर जय प्रकाश व थापर कम्पनी को जारी भूमि लीज पट्टे

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में भागीरथीपुरम्–कोटी कालोनी सड़क मार्ग पर पिछले 5 सालों में जय प्रकाश व थापर कम्पनी व अन्य को कुल कितनी भूमि तथा कितने वर्षों का लीज पट्टा आवंटित किया गया?

क्या सरकार उक्त कम्पनियों को जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

भागीरथीपुरम्–कोटी कालोनी सड़क मार्ग पर मै0 जय प्रकाश कम्पनी, मै0 थापर कम्पनी, मै0 जी0ई0एम0 इंजीनियर्स को क्रमशः 49.2 एकड़, 29.5 एकड़ एवं 12000 वर्ग फुट भूमि कैम्प सुविधा एवं कार्य हेतु टी0एच0डी0सी0 द्वारा दी गई है। कोई भूमि लीज अथवा पट्टे पर आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन के पंजीकृत व्यक्तियों को पेंशन सुविधा

*2–श्री हरबंस कपूर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितने–कितने वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग आदि पेंशन से सम्बन्धित प्रकरण पंजीकृत हैं?

क्या सरकार सभी पंजीकृत एवं पात्र व्यक्तियों को उक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन से सम्बन्धित प्रकरण पंजीकृत हैं :–

	जनपद	वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	विकलांग पेंशन
1	पौड़ी	6145	5120	1167
2	टिहरी गढ़वाल	8910	5714	2660
3	चमोली	4466	2931	1102
4	रुद्रप्रयाग	2240	2553	634
5	उत्तरकाशी	4200	2918	1200
6	देहरादून	9648	7172	2488
7	हरिद्वार	10666	3985	1357
8	नैनीताल	5740	5781	1400
9	अल्मोड़ा	8660	5981	2415
10	पिथौरागढ़	3740	2864	1085
11	बागेश्वर	2800	3401	1219
12	चम्पावत	1601	1800	425
13	ऊधमसिंह नगर	3584	4809	1322
	योग	72400	55029	18474

लक्ष्य बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी वित्तीय वर्ष में।

क्योंकि जनपदों हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार पंजीकृत एवं पात्र सभी व्यक्तियों को आवेदन–पत्रों के वरीयता क्रम में ही वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन वितरित की जाती है।

चमोली के विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में ओलावृष्टि से फसल नष्ट से प्रभावित कृषकों को सहायता

*3–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 6 मई, 2002 तथा 24 एवं 25 मई, 2002 को जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में हुई ओलावृष्टि के कारण कुल कितने गावों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ?

क्या सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को राहत पहुँचायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या राहत पहुँचाई गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ० हरक सिंह रावत)–

6 मई, 2002 तथा 24 एवं 25 मई, 2002 को हुई ओलावृष्टि से चमोली के विकास खण्ड घाट एवं पोखरी के कुल 137 गांवों की फसलों एवं फलों को 12% से 15% तक की क्षति हुई है।

जी नहीं।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों को 50% और उससे अधिक क्षति होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत सहायता वितरित किये जाने का प्राविधान है। विकास खण्ड घाट एवं पोखरी के अन्तर्गत ओलावृष्टि से 12% से 15% तक की क्षति हुई है। 50% से क्षति कम होने के फलस्वरूप नियमानुसार प्रभावितों में राहत सहायता वितरित नहीं की गई।

ऊधमसिंह नगर के किसानों द्वारा बेमौसमी धान के क्रय केन्द्र स्थापित सम्बन्धी

*4–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में बेमौसमी धान का उत्पादन किया जाता है, किन्तु सरकार द्वारा धान क्रय केन्द्र स्थापित न किये जाने से किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी धान क्रय केन्द्र की स्थापना किये जाने पर विचार करेंगे।

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद ऊधमसिंह नगर में किसानों द्वारा लगभग 8,000 मी० टन बेमौसमी धान का उत्पादन किया जाता है, जिसे स्थानीय उपयोग में लिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभ दिये जाने हेतु समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ही निर्धारित मानकों एवं गुणनिर्दिष्टयों के अनुसार धान का क्रय किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा धान खरीद सत्र वर्ष के अक्टूबर माह से प्रारम्भ किया जाता है तथा सामान्यतः यह सत्र में पैदा होने वाले धान की खरीद के लिये बनाये गये क्रय केन्द्रों पर आने वाले धान की प्राप्ति तक चलता है। इस वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक की अवधि के लिये विशेष सूखा राहत योजना के अन्तर्गत धान क्रय के निर्देश दिये गये हैं। बेमौसमी धान क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा कोई योजना लागू नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा बेमौसमी धान क्रय के लिये क्रय केन्द्रों की स्थापना का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बेमौसमी धान क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा कोई खरीद योजना लागू नहीं की गयी है।

भाबर क्षेत्र में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल का "कमांड एरिया"

*5–डॉ० नारायण सिंह जंतवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भाबर क्षेत्र में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल का "कमांड एरिया" कितना रखा गया है?

क्या सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

भाबर क्षेत्र में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल का कमांड एरिया 70 से 100 हेक्टेयर है।

जी हाँ, इस विषय पर विचार चल रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

आरक्षण सुविधा से अनुसूचित एवं जनजाति समाज के समृद्ध वर्ग को वंचित करने का प्रस्ताव

*6–डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के समृद्ध वर्ग को आरक्षण की सुविधा से वंचित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को भेजेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं दिशा निर्देशों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के समृद्ध वर्ग को आरक्षण से वंचित करने सम्बन्धी कोई प्राविधान नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भूस्खलन से हुई क्षति अनुमन्य सहायता राशि की जानकारी

*7–श्री प्रकाश पंत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला विकास खण्ड के अन्तर्गत 12 जुलाई, 2002 को भूस्खलन से खेत ग्राम पंचायत के भवन क्षतिग्रस्त हुये तथा जन–पशु हानि भी हुई है?

यदि हाँ, तो कुल क्षति का अनुमान कितना है?

क्या सरकार द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि निर्गत कर दी गई है?

यदि हाँ, तो कितनी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जी हाँ, 12 जुलाई, 2002 को भूस्खलन से खेत ग्राम में 7 मकान पूर्ण रूप से 10 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं, तथा 5 जनहानि हुई है, पशुहानि नहीं हुई है।

रु0 16.90 लाख।

जी हाँ।

रु0 3.28 लाख।

प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग के वाहनों के रख–रखाव पर अत्यधिक व्यय रोकने के उपाय

*8–मो0 शहजाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग के पास कितने वाहन हैं, तथा उनके वार्षिक रख–रखाव पर कितना धन खर्च किया जा रहा है?

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अधिसंख्य वाहनों पर उनके बाजार मूल्य से अधिक धन रख–रखाव के नाम पर व्यय किया जाता है?

यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल में कुल 229 वाहन हैं, जिनमें से 01 वाहन निष्प्रयोज्य है। विभाग द्वारा 229–1 = 228 वाहनों के रख–रखाव पर वर्ष 2001–2002 में रु0 65,67,870.00 व्यय किया गया है।

सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 में प्रति वाहन औसतन रु0 29,081/– का व्यय रख–रखाव पर किया गया है, जो कि वाहन के बाजार मूल्य (रु0 4.00 लाख लगभग) से बहुत कम है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नही उठता है।

हरिद्वार जनपद के रोशनाबाद में रिक्त सरकारी आवासों का आवंटन

*9–श्री मदन कौशिक–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार जनपद में जिला मुख्यालय रोशनाबाद में लाखों रुपये की लागत से निर्मित सरकारी आवास रिक्त पड़े हैं?

क्या सरकार इन आवासों को अधिकारियों व कर्मचारियों को आवंटित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

राजस्व विभाग के कुल 72 आवास विभिन्न श्रेणी के नवनिर्माणाधीन हैं। इनमें से किसी भी पूर्ण निर्मित भवन को अभी तक निर्माण इकाई द्वारा विधिवत् हस्तगत नहीं कराया गया है।

प्रदेश के सूखा प्रभावित जनपदों के कृषकों को राहत देने विषयक

*10–श्री मातबर सिंह कण्डारी
श्री प्रीतम सिंह पंवार
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
श्री मालचन्द–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में सूखे का कुप्रभाव किन–किन जनपदों में पड़ा है?

क्या सरकार सूखे की चपेट में आये कृषकों एवं जनता को राहत देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कितनी–कितनी?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

इस वर्ष प्रदेश में सूखे का प्रभाव समस्त जनपदों में पड़ा है।

जी हाँ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों को 50% और उससे अधिक क्षतिग्रस्त होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में निम्नानुसार राहत सहायता वितरित किये जाने का प्राविधान है :—

1—कृषि, उद्यान एवं वार्षिक वृक्षारोपण की फसलें—	रैनफैड क्षेत्रांतर्गत रु0 1,000 प्रति हे0, सुरक्षित सिंचित क्षेत्रों में रु0 2,500 प्रति हे0
2—बारह मासिक फसलें—	रु0 4,000 प्रति हे0

सूखे से लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों को 50% और उससे अधिक क्षतिग्रस्त होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी (तोरिया बीज, उर्वरक, खाद) के रूप में राहत सहायता वितरित किये जाने हेतु कुल रु0 1,95,65,000/— की धनराशि आपदा राहत कोष से समस्त जनपदों को आवंटित की जा चुकी है।

आपदा प्रबन्धन कमेटियों को पूर्ण अधिकार सम्पन्न करने विषयक

*11—डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवीय आपदा घटित होते ही तत्काल जनता को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन कमेटियों को पूर्ण अधिकार सम्पन्न किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की कोई कमेटी गठित की जा रही है, जबकि इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि इस सम्बन्ध में क्षेत्रों से सही सूचना मिल सके।

डॉ0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार ने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, उप निदेशक भूमि संरक्षण, अग्नि शमन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अधिशासी अभियंता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, अधीक्षण अभियंता जल निगम, क्षैत्रीय प्रबन्धक परिवहन, जिला सूचना अधिकारी, निदेशक आकाशवाणी, सहायक अभियंता डाकतार, भू—वैज्ञानिक, जिला कमाण्डेंट

होमगार्ड्स, प्रभागीय वनाधिकारी पूर्वी/पश्चिमी, सहायक अभियन्ता दूर संचार तथा उप जिलाधिकारी इस कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं।

मान्यवर, सरकार की ओर से वर्ष के शुरू में ही जो जोन 05 में जिले हैं–रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं, इन जिलों को 50 लाख रुपये तथा जो जोन 04 के जिले हैं उनको 30 लाख रुपये की धनराशि एकमुश्त अवमुक्त की जाती है।

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, जिलेवार क्या स्थिति है, अल्मोड़ा जिले में अब से कुछ साल पहले भयानक आपदा (सेलफोन की घंटी बजने से व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तरांचल देश का पहला राज्य है, जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, यहां तक भारत सरकार का भी आपदा प्रबंधन मंत्रालय नहीं है, वहां कृषि मंत्रालय और गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन का कार्य देखते हैं। मान्यवर, जहां तक जिला स्तर पर ढांचे को स्वीकृत करने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मान्यवर, बहुत जल्द ही जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन का ढांचा सरकार स्वीकृत करने जा रही है।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो जिले में आपदा प्रबन्धन कमेटी की बात बताई है उसमें जनप्रतिनिधियों को स्थान क्यों नहीं दिया गया है।

मान्यवर, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये जनपद में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बहुत होती है, अगर किसी एक स्थान पर कोई आपदा घटित होती है तो वहाँ से जिले हेड क्वार्टर पर पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वहाँ पर एक से ज्यादा केन्द्र स्थापित करेगी और ऐसे प्रशिक्षित लोगों को केन्द्र में गठित करेगी जो आपदा से निपटने में सक्षम हों।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सम्मानित सांसदों को और सम्मानित विधायकों को इस आपदा प्रबन्धन समिति में नामित करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और चूँकि आपदा कहीं भी किसी भी समय आ सकती है, क्या इसके लिये सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपदा प्रबन्धन का 75 प्रतिशत बजट का हिस्सा भारत सरकार की ओर से देय होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

है और 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होती है लेकिन जो मार्गदर्शन और नियम हैं वह भारत सरकार की ओर से सौ प्रतिशत आपदा प्रबन्धन के बजट पर क्रियान्वयन किया जाता है। मान्यवर, हमारी ओर से लगातार भारत सरकार के गृह मंत्री, कृषि मंत्री को पत्र लिखे गये हैं। मान्यवर, हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमारे प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये उसमें शिथलीकरण किया जाये। मान्यवर, इस मार्गदर्शन में नये उपकरणों को खरीदने की व्यवस्था नहीं है, केवल मरम्मत की व्यवस्था है। जब हमारे पास उपकरण नहीं होंगे तो मरम्मत किसकी करेंगे। तो हम निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारे पास आपदा प्रबन्धन में धनराशि है बस भारत सरकार हमको उपकरणों को खरीदने के लिए अनुमति दे दें।

मान्यवर, भारत सरकार ने मौखिक रूप से हमको सहमति दी है, हम सैटेलाइट टेलीफोन दूरसंचार के लिए, क्योंकि बूढाकेदार में इस तरह की घटना हुयी और हमने यह महसूस किया कि इसके अभाव में राज्य सरकार को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस तरह की कुछ मशीनों को खरीदने के लिए हमें भारत सरकार ने अनुमति दी है और हम बहुत जल्दी इन मशीनों को क्रय करके इन समस्याओं को दूर करेंगे।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि भी शामिल है या नहीं जो कि यहाँ पर अधिकांशतः होता रहता है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि अतिवृष्टि, भूकम्प, भू–स्खलन, बादल फटना, ओलावृष्टि, सूखा ये सब आपदा प्रबन्धन के तहत सम्मिलित हैं, लेकिन बाढ़ और नदियों से कटाव ये आपदा प्रबन्धन में सम्मिलित नहीं हैं। पहले भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स थी, लेकिन दशम वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार ने पूरे देश में लागू की हैं उसमें बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सम्मिलित नहीं हैं।

श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सन् 1999 में जनपद चमोली में भूकम्प आया था जिसके तहत वहाँ भारी क्षति हुयी थी, वहाँ कई परिवारों को श्रेणी–4 व श्रेणी–5 में चिन्हित किया गया था, लेकिन मान्यवर, उनमें से कुछ को ही राहत राशि का भुगतान किया गया था और कुछ को यह राशि दी जानी शेष थी, जो कि अभी तक नहीं दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन परिवारों को यह राशि दी जाएगी या नहीं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है कि जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्से में थे तब 1999 में टिहरी,

रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली में भूकम्प आया था। तत्कालीन सरकार के द्वारा कुछ परिवारों को जी–1, जी–2, जी–3, जी–4 और जी–5 में सहायता पहुँचाई गयी, किन्तु मान्यवर, एक बहुत बड़ी धनराशि पिछली सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है। मान्यवर, जब आपदा प्रबन्धन विभाग की जिम्मेदारी मुझको सौंपी गयी और मेरे संज्ञान में यह आया कि 1999 की भूकम्प की धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी तो मैंने आपदा प्रबन्धन अधिकारियों की बैठक लेकर यह निर्णय लिया कि चूँकि यह उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी और अब 4 वर्ष हो गये हैं। प्रदेश सरकार इसमें असमर्थ है और यदि इस राशि को दिया जाना है तो प्रदेश सरकार इसमें कोई रास्ता निकाले। मान्यवर, 5 करोड़ 60 लाख हमने विगत 2 माह पहले अवमुक्त किया है जिसमें जनपद चमोली के लिए 2 करोड़ 49 लाख रुपये अवमुक्त किया गया है और मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्योंकि 39 करोड़ का बैकलाग है। एक साथ यह राशि अवमुक्त करना प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए असम्भव है, किन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि धीरे–धीरे बाकी की राशि भी किश्तों में अवमुक्त की जाएगी।

*कुँवर प्रणव "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो नदी से भूमि कटाव होता है जिससे धन व जन की भारी हानि होती है, उसको दैवीय आपदा में रखा गया है अगर नहीं रखा गया है तो क्या इसका कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है कि इसको भी दैवीय आपदा में सम्मिलित कर लिया जाए?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करा चुका हूँ कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, लघु सिंचाई जो दैवीय आपदा है उन्हें सी0आर0एफ0 से लाभान्वित नहीं किया गया। माननीय नेता सदन की ओर से हमारी सरकार की ओर से हमारे विभाग की ओर से चूँकि सिंचाई विभाग के पास बाढ़ नियंत्रण के लिए धन उपलब्ध नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री की ओर से भारत सरकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण, नदी भूमि कटाव को भी दैवीय आपदा में सम्मिलित कर लिया जाए। लेकिन भारत सरकार की ओर से लगातार हमको यही उत्तर मिल रहा है कि दशम वित्त आयोग में इसको शामिल नहीं किया गया है लेकिन जब ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें आयेंगी, बैठक होगी उसमें आपके प्रस्ताव को और इन समस्याओं को सम्मिलित किया जायेगा, उस पर विचार किया जाएगा। तभी जाकर इस सम्बन्ध में कोई परिणाम सामने आएगा या फिर कोई रास्ता निकलने की संभावना है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय दैवीय आपदा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्दर सन् 1999 में जो भूकम्प आया था। उससे जो क्षति हुई थी उसको श्रेणी–1, श्रेणी–2 व श्रेणी–3 में विभाजित किया गया है। वहाँ क्षतिग्रस्त परिवारों को आज तक मुआवजा व राहत की धनराशि क्यों नहीं बांटी गयी? अगर नहीं बांटी गयी तो कब तक बांटने की संभावना है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कहा है कि सन् 1999 के भूकम्प की धनराशि को पिछली सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जानी थी। लेकिन मान्यवर, किन्हीं कारणों से पिछली सरकार द्वारा वह धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य को बने डेढ़ साल हो गए हैं। इससे पहले जो प्रतिपक्ष की सरकार थी उसने भी वह धनराशि अवमुक्त नहीं की। जब से हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा सरकार की बागडोर संभाली गयी और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गयी तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सन् 1999 के भूकम्प पीड़ितों का दर्द महसूस करते हुए मुझे यह निर्देश दिए कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। हमने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पांच करोड़ साठ लाख रुपये अवमुक्त किया उसमें से एक करोड़ रुपया टिहरी जनपद के लिए अवमुक्त किया। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि शायद जिलाधिकारी टिहरी के माध्यम से उस धनराशि को अवमुक्त नहीं किया गया है लेकिन जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली में यह धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। स्वयं मैंने जनपद रुद्रप्रयाग में जाकर पीड़ित परिवारों को चेक बांटे है।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर टिहरी जनपद में इस धनराशि का वितरण नहीं किया गया है तो उसे शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा और जो अवशेष धनराशि है, उसे भी बहुत जल्दी ही अवमुक्त कर दिया जायेगा।

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नैनीताल जनपद के पर्वतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ओखलकाण्डा और धारी विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने यह पाया कि यहां दैवीय आपदा से सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान हुआ है। चाहे सड़क हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, को क्षति पहुँची है। वहां लोगों के मकान टूट गये हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं, सीढ़ीदार खेत बह गये हैं, लेकिन आज भी कई परिवार सहायता राशि से वंचित हैं। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्षा के कारण बाढ़ से जो नुकसान होता है। विगत चार वर्ष पूर्व गौला नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उसमें 11 मजदूरों की जानें चली गई। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में भी उत्तरांचल शासन और माननीय मंत्री जी के माध्यम से भारत सरकार को एक प्रस्ताव जाना चाहिए। 11 मजदूर जो विभिन्न जनपदों के थे जिनकी जान चली गई। इसलिए शासन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने अपने क्षेत्र के भूस्खलन, भवनों के क्षतिग्रस्त होने की बात इस सदन में उठाई है। कृपया आप इन समस्याओं को मुझे लिखित रूप में उपलब्ध करा दें तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके अनुरोध को सरकार गम्भीरता से लेगी और इसका तत्काल समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा। जो दूसरा विषय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने रखा है उसके सम्बन्ध में मैं पूर्व में ही अवगत करा चुका हूँ कि हम भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण को भी दैवीय आपदा में सम्मिलित कर लिया जाये लेकिन भारत सरकार के नकारात्मक रुख के कारण इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई करने में प्रदेश सरकार अभी सक्षम नहीं है। जैसे ही कोई दिशा–निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होंगे, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार तत्काल गौला नदी के जो तटबन्ध हैं उन्हें ठीक कराने का कार्य करेगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या दैवीय आपदा के लिए या दुर्घटना के लिए कोई रैस्क्यू टीम आपके पास है जिससे तत्काल रिलीफ दिया जा सके।

मान्यवर, जो तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है, मान्यवर, उसे पैसे से ही रिलीफ नहीं दिया जा सकता है, यदि है तो उन्हें रिलीफ दिया जाना चाहिए यदि नहीं है तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि उनकी पीड़ा गंभीर और जायज है, यह हमारे बहुत गंभीर सदस्य हैं, उनके चेहरे से ही गंभीरता झलकती है मैं उनके चेहरे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ बल्कि प्रश्न के माध्यम से जो उनकी पीड़ा झलक रही है और हृदय से उनकी गंभीरता झलक रही है, इसे सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है और यह सरकार महसूस कर रही है। जहां तक टास्क फोर्स की व्यवस्था में प्रशिक्षित कर्मचारी सरकार के पास उपलब्ध है या नहीं, अभी तक राहत कार्य या आपदा प्रबंधन कार्य को जिलाधिकारी के साथ–साथ जिला आपदा प्रबंधक के माध्यम से हम चलाते हैं और समय–समय पर राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा पुलिस विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से विकास खण्डों, तहसीलों तथा जिला मुख्यालयों में जा–जाकर उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। हमारे प्रदेश में आपदा प्रबन्धन केन्द्र भी है जो प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण देता है। माननीय सदस्य की पीड़ा को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध का प्रस्ताव स्वीकार किया है अभी हमारे पास कुछ संसाधनों की कमी है इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए केन्द्र सरकार का सहयोग हमें मिले। जैसे ही केन्द्र सरकार का सहयोग हमें प्राप्त हो जायेगा तो प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ठोस कार्य किये जायेंगे।

*श्री उम्मेद सिंह मांजिला–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए आपने एक विभाग तो बना रखा है परन्तु क्या जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर दैवीय आपदा के लिए किसी कोष की स्थापना या व्यवस्था की गई है। क्योंकि सरकार तक खबर आने में काफी देर हो जाती है और तात्कालिक राहत हेतु जिलाधिकारी या तहसीलदार के पास कोई कोष नहीं होता जिससे कि तात्कालिक राहत प्रदान की जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा आने पर जिला स्तर या तहसील स्तर से तत्काल राहत की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि वैज्ञानिकों का बार–बार कहना है कि पूरा गढ़वाल, पिथौरागढ़ जिले के मुन्स्यारी, धारचूला, डीडीहाट तथा बागेश्वर जिला भूकम्प बैल्ट के अन्तर्गत हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में दैवीय आपदाओं के प्रिकॉशन के तौर पर कोई योजना बनायी जा रही है या नहीं?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि मैं पूर्व में भी इस सम्मानित सदन को अवगत करा चुका हूं कि हमने पूरे प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर दिया है, जोन–4 और जोन–5 में। जोन–5 के अन्तर्गत चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी का कुछ क्षेत्र, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा बागेश्वर जिले हैं। शेष जिले जोन–4 में आते हैं। जोन–5 में 50 लाख रुपये तथा जोन–4 में 30 लाख रुपये आपदा प्रबन्धन कोष में जिलाधिकारी के अधीन हर वर्ष अवमुक्त कर देते हैं। यह धनराशि हर वर्ष के प्रारम्भ में अवमुक्त कर दी जाती है। यह धनराशि जिलाधिकारी के पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए हर समय सुरक्षित रहती है। अभी पिछले दिनों बूढ़ाकेदार में बादल फटने से जो आपदा आयी, उसके लिए 50 लाख रुपये तो पहले से ही थे, इन रुपयों से तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया और जैसे ही प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी हुई तीन दिन के अंदर 3 करोड़ रुपया और अवमुक्त कर दिया गया। पिछले 3 माह में यातायात व्यवस्था शुरू करने, पेयजल की सुविधा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत के लिए हमने 17 करोड़ रुपया विभिन्न जनपदों के लिए अवमुक्त किया है। मैंने समस्त माननीय विधायकों को दो पत्र लिखे हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के मोटर मार्गों, पैदल मार्गों पेय जल की व्यवस्था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत के लिए प्राक्कलन प्रदेश सरकार को पेश करें। उन प्राक्कलनों का आंकलन करके धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी जायेगी। माननीय विधायकों द्वारा जो प्राक्कलन पेश किये जा रहे हैं उसके हिसाब से धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त तहसील धारचूला के खेत ग्राम में जुलाई, 2002 में भयंकर अतिवृष्टि के कारण जनहानि एवं सरकारी इमारतों की हानि हुई थी, वहाँ पर लगातार आज भी भू–स्खलन हो रहा है। सरकार ने इस हेतु कितना धन अवमुक्त किया है मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वैसे तो यह मूल सवाल से हटकर है, मुझे इस बारे में जितनी जानकारी है उतना उत्तर मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं खेत गाँव गया था। वहाँ पर 7 मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, 10 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, 5 लोगों की मौतें हुई थी, हमने 50 हजार रुपये प्रति मृतक के हिसाब से धनराशि वितरित की थी। जो सात मकान क्षतिग्रस्त और 10 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उनके लिए भी धनराशि अवमुक्त की है। वहाँ पर आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौके पर थे, मैंने घोषणा की थी कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हैं उन्हें 10 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब

से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थितियों में 10 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से इन परिवारों को अवमुक्त किया गया, कुल मिलाकर एक लाख सत्तर हजार अलग से अवमुक्त किया। पेयजल के लिए एक लाख अवमुक्त किया, यातायात खोलने के लिए लगभग 26 लाख के आसपास अवमुक्त की है। इस तरह से खेत गाँव के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये जिससे कि वहाँ के लोगों के मन में प्रदेश सरकार के प्रति आस्था रहे, उनको यह महसूस हो सके कि उनके इस दुःख में प्रदेश सरकार सहभागी है। जहाँ तक पुनर्वास का सवाल है, भारत सरकार की पुनर्वास की कोई नीति नहीं है। प्रदेश सरकार ने ऐसे 200 गाँवों का जहाँ मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है उनका भूगर्भ सर्वेक्षण किया है, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे उनका पुनर्वास करेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

रुद्रप्रयाग मल्यासू भरदार लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन की जानकारी

1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई योजना मल्यासू भरदार, रुद्रप्रयाग का निर्माण कब किया गया था?

क्या इस योजना से सिंचाई हो रही है?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त योजना से सिंचाई का पानी कृषकों को दे दिया जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

लिफ्ट सिंचाई योजना मल्यासू भरदार, रुद्रप्रयाग का निर्माण वर्ष 2000–2001 में किया गया है।

जी हाँ। यह योजना चालू हालत में है, तथा कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से कुल लाभान्वित एवं आवेदित परिवारों को लाभ की जानकारी

2–श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में कुल कितने परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है?

क्या आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वर्ष 2000–2001 में 1804 परिवारों को तथा वर्ष 2001–2002 में 1188 परिवारों को लाभ प्रदान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं।

क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। भारत सरकार से वांछित धनावंटन न होने के कारण सभी पात्र आवेदकों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है।

राज्य के विभिन्न बंगाली समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने विषयक

3–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में स्थायी रूप से रह रहे बंगाली समुदाय के नमः शुद्र, पौंड़, माँझी, धरापी, बढ़ई, कपाली, धोबी, गुण्डा, घोष, शील आदि जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाए जाने का कोई प्रकरण **शासन के विचाराधीन है?**

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल राज्य में स्थायी रूप से रह रहे बंगाली समुदाय के नमोशूद्रा, पौण्ड, माँझी जाति के ऐसे व्यक्तियों को जो भारतीय नागरिक हों, को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजा गया है। अन्य जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

भू–स्खलन से प्रभावित उत्तरकाशी के ग्राम गमटी व खनेड़ा को अन्यत्र बसाने की योजना

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पुनर्वास व राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के ग्राम खनेड़ा व गमटी को भू–स्खलन से गम्भीर संकट पैदा हो गया है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांवों को अन्यत्र बसाये जाने की योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

ग्राम खनेड़ा व गमटी को भूस्खलन से कोई खतरा न होने के फलस्वरूप वर्तमान में उक्त ग्रामों को अन्यत्र बसाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

ऊधमसिंह नगर में हरिपुरा जलाशय के सृजन से प्रभावित बुक्सों को मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था

5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित हरिपुरा जलाशय के सृजन हेतु जिन बुक्सों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उनको उचित मुआवजा तथा पुनर्वास की व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

कुल 184 बुक्सा काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई। जिसमें से 68 छोटे काश्तकारों को पूर्ण भूमि दी गई है। 92 बड़े काश्तकारों को आंशिक भूमि एवं प्रतिकर दिया गया। 24 काश्तकार सरकारी भूमि पर काबिज थे। अतः इन्हें नियमानुसार कोई प्रतिकर देय नहीं था। अर्जित की गई भूमि पर घास के छप्पर व झोपड़ियां थी जिसका प्रतिकर सम्बन्धितों को दे दिया गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चमोली के घाट क्षेत्र में चुफल्यागाढ गधेरे से हो रहे भूमि कटाव की योजना

6–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में चुफल्यागाढ गधेरे के कारण प्रतिवर्ष कई नाली कृषि भूमि का कटाव हो रहा है?

क्या यह भी सत्य है कि भूमि कटाव के कारण आवासीय क्षेत्र विकासनगर घाट बाजार को खतरा बना हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के कटाव को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत चुफल्यागाढ से वर्षात के समय हर साल भूमि कटाव होता है। जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार भूमि कटाव के रोकथाम हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य न होने के फलस्वरूप कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरिद्वार के परगना मंगलौर में चल रही चकबन्दी विषयक

7—काजी निजामुद्दीन—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में लगभग 12 वर्षों से चकबन्दी का कार्य चल रहा है?

यदि हाँ, तो यह चकबन्दी का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

डा0 हरक सिंह रावत—

परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में केवल दो ग्रामों में ही चकबन्दी का कार्य 12 वर्षों से लम्बित है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश में सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करने की माँग

8—श्री मदन कौशिक—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र होने पर।

क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में दिये गये आरक्षण कोटे को पूरा न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी सेवाओं में विकलांग आरक्षण प्राविधान के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की जानकारी

9—डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है?

क्या सरकार यह भी जानकारी देगी कि पिछले एक वर्ष में कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार 3 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण का प्राविधान है।

प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 02 एवं श्रम एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से 02 विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। अन्य विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है।

चमोली के घाट क्षेत्र चुफल्यागाढ में भूमि कटाव रोकने हेतु तटबन्ध की माँग

10–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में चुफल्यागाड के कारण प्रतिवर्ष कितनी कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है?

क्या सरकार जनहित में उक्त गाड पर तटबन्ध बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद चमोली में वर्ष 1998 में अतिवृष्टि के कारण चुफल्यागाढ से ग्राम वाजब गढ एवं ग्राम लाखी में 0.280 हेक्टेयर भूमि का कटाव हुआ है। इसके अतिरिक्त 0.501 हेक्टेयर राजकीय भूमि का भी कटाव हुआ है।

इस कटाव को रोकने के लिए बाढ सुरक्षा योजना बनाई जा रही है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट को तहसील बनाये जाने हेतु प्रस्ताव

11–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट को तहसील बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक घाट को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा परिसीमन के दौरान प्रशासनिक इकाईयों में परिवर्तन न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के जनपदों में लीज के पट्टों को बन्द करने विषयक

12—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा लीज के पट्टे उत्तरांचल के समस्त जनपदों में पूर्णरूपेण बन्द कर दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो यह लीज किस अवधि तक बंद रहेगी?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जी हाँ, रिट याचिका संख्या 202/95 टी0एन0 गोडाबर्मन थैरूल्कपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12—12—96 द्वारा मैदानी क्षेत्रों के अलावा लीज आवंटन पर रोक लगाई गई है।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

चमोली के पोखरी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के प्रस्तावित गोदाम की जानकारी

13—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो किस स्थान पर?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिद्वार के मानूबास आदि गाँवों में सौनाली नदी से भूमि कटाव

14—मो0 शहजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र के गांव कोटामुरादनगर, मानूबास, दादू बास, लालवाला में सौनाली नदी से हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के कर्णप्रयाग एवं गैरसैण में वर्ष 1999 के भूकम्प से क्षतिग्रस्त विद्यालयों का नव निर्माण

15–श्री अनिल नौटियाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं विकास खण्ड गैरसैण में कितनी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टर कालेज 28 मार्च, 1999 को आये विनाशकारी भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए?

क्या इनके नव निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हॉ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं गैरसैण में कुल 76 प्राथमिक, जूनियर, रा०उ०मा०वि० एवं इण्टर कालेज 28 मार्च, 1999 को आये विनाशकारी भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी नहीं।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय के ही मरम्मत कार्य हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य है। नव निर्माण हेतु धनराशि अनुमन्य नहीं है। जिस कारण दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयों के नव निर्माण हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चमोली घाट क्षेत्र कैरी नामक तोक में भूमि कटाव रोकने हेतु रोकथाम विषयक

16–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ में रामगंगा नदी के कटाव से थल गर्जिला गॉव भू–स्खलन से प्रभावित है?

क्या सरकार जनहित में भू–स्खलन की रोकथाम हेतु तटबन्ध बनाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हॉ।

इस गॉव का भू–वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया, जिसके आधार पर अपर कृषि निदेशक द्वारा सिंचाई विभाग से कार्य कराये जाने की संस्तुति की गई है इस क्रम में तटबन्ध बनाये जाने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त झूलापुल का जीर्णोद्धार

17—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गोर घटियांगाढ़ में क्षतिग्रस्त झूलापुल का जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत—

जनपद पिथौरागढ़ में गोर घटियांगाढ का झूलापुल लकड़ी के सड़–गल जाने से शीर्ण हुआ है। झूलापुल के मरम्मत कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम खाडली किमाणा में भूकम्प/भू–स्खलन हेतु राहत/बचाव कार्य की जानकारी

18—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खाडली किमाणा, पट्टी फुटगढ़, जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 1991 व 1999 में भूकम्प से प्रभावित तथा वर्तमान में भू–स्खलन के प्रति संवेदनशील उक्त ग्राम में राहत एवं बचाव के क्या–क्या कार्य किए गए हैं? यदि नही, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत—

ग्राम खाडली किमाणा, पट्टी फुटगढ़, जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 1991 व 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार राहत राशि का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2002 में दिनांक 3–4 जुलाई, 2002 को अतिवृष्टि के कारण उक्त ग्राम के 32 परिवारों की 0.680 हे0 भूमि में खरीफ की फसल जमीन खिसकने से दबकर नष्ट हुई है। सर्वेक्षण में पात्र प्रभावित परिवारों को माह जुलाई, 2002 में ही नियमानुसार राहत राशि का वितरण किया गया है। भू–स्खलन से उक्त ग्राम में किसी भी प्रकार की जन व पशु हानि नहीं हुई है। वर्तमान में भू–स्खलन से गांव को कोई खतरा नहीं है। भूमि सुरक्षा व बचाव के लिए भूमि संरक्षण विभाग, रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है।

रुद्रप्रयाग के ग्राम बजीरा पट्टी लस्या में भू–स्खलन से उत्पन्न खतरा

19—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम बजीरा पट्टी लस्या में भू–स्खलन से खतरा है? यदि हाँ, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत—

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम बजीरा, पट्टी लस्या में भू–स्खलित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा चैक डैम बना दिये गये हैं।

हरिद्वार के नारसन क्षेत्र में अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को वितरित गेंहू, चावल की जानकारी

20—श्री हरिदास—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में अन्त्योदय तथा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को माह मार्च, अप्रैल, मई, 2002 का गेंहू, चावल उपलब्ध हुआ?

यदि नहीं, तो क्या इस अवधि का निर्धारित गेंहू, चावल पात्र परिवारों को दिया जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को माह मार्च, अप्रैल, मई, 2002 का गेंहू एवं चावल आवंटन से कम उपलब्ध हुआ। उक्त कम आवंटन मात्र नारसन विकास खण्ड में ही नहीं अपितु जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी प्राप्त हुआ।

स्टेट पूल में संग्रहित खाद्यान समाप्त हो जाने तथा केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटन के अनुरूप गेंहू उपलब्ध न करा पाने व चावल की गुणवत्ता वितरण योग्य न होने के कारण आवंटन के अनुरूप खाद्यान का वितरण नहीं हो पाया है। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान प्राप्ति में आने वाली कठिनाईयों के कारण राज्य सरकार द्वारा स्टेट पूल में चावल को संग्रहित किये जाने का निर्णय लिया है तथा उक्त अवधि के निर्धारित मात्रा का अवशेष चावल स्टेट पूल से दिया जायेगा तथा गेंहू की अवशेष मात्रा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरकाशी में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को गल्ले उठान/ढुलान भाड़े का भुगतान

21—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बाल पोषाहार, अन्नपूर्णा, अन्त्योदय, जनाधार एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गल्ले का उठान ढुलान भाड़े का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जनपद उत्तरकाशी में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बाल पोषाहार योजना के अन्तर्गत परिवहन ढुलान का भुगतान नहीं हो पाया है। यह भुगतान राज्य के समस्त जनपदों में नहीं हो पाया है इसका मुख्यतः कारण पूर्व में योजना के अन्तर्गत परिवहन

ढुलान का भुगतान भी डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया जाता रहा है, किन्तु अब डी0आर0डी0ए0 से भुगतान न होने के कारण लगभग रुपये 2.69 करोड़ का भुगतान होना शेष है। इस सम्बन्ध में दिनांक 28–11–2002 को एक बैठक आहूत की गई तथा बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य गठन से पूर्व का भुगतान ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाय तथा राज्य गठन के बाद लम्बित देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की भाँति "रिवॉल्विंग फण्ड" की स्थापना करते हुए किया जाय।

खाद्य विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं (बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय) के लिए नियमित रूप से उठान ढुलान भाड़े का भुगतान किया जा रहा है। इस हेतु लम्बित देयकों के लिए रु0 1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल संभाग को स्वीकृत की जा चुकी है।

अन्नपूर्णा योजना के लिए रु0 50.00 प्रति कुन्टल की दर से परिवहन ढुलान की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गई है।

जनाधार एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गल्ले का उठान, ढुलान, भाड़े का भुगतान ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना हेतु शेष परिवहन ढुलान का भुगतान भी शीघ्र कर लिया जायेगा।

हल्द्वानी में अंशकालिक नलकूप चालक/सहायकों को नियमितीकरण के सन्दर्भ में जानकारी

22–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1987–88 में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी में अंशकालिक नलकूप चालक/सहायकों के सम्बन्ध में दिनांक 18–5–1994 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा कोई निर्णय दिया गया था?

यदि हाँ, तो मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अंशकालिक नलकूप चालक/सहायकों को नियमितीकरण किये जाने के सन्दर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 18–5–1994 के आदेशों में इन कार्मिकों के नियमितीकरण के लिए कोई आदेश नहीं दिये गये बल्कि अंशकालिक नलकूप चालकों को समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत पर, वेतन व भत्ते दिये जाने के आदेश दिये थे।

अंशकालिक नलकूप चालकों के नियमितीकरण उ0प्र0 शासन के (गजट नोटिफिकेशन सं0 7836/3727/96418/BEY/96) दिनांक 16–12–96 को जारी किया था। उसके अनुपालन में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी में दिनांक 1–10–86 तक नियुक्त 79

अंशकालिक नलकूप चालक से 77 का नियमितीकरण उपलब्ध 77 पदों के विरूद्ध वरिष्ठता के आधार पर किया गया है। दिनांक 1–10–86 से पूर्व नियुक्त, मात्र दो अंशकालिक नलकूप चालक/सहायक नियमितीकरण हेतु शेष है।

उक्त दो कर्मचारी एवं दिनांक 1–10–1986 के उपरान्त नियुक्त कर्मचारी जिनकी कुल संख्या 166 है, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी में कार्यरत हैं, जो नियमितीकरण हेतु शेष है। विभाग के कार्यरत नलकूप चालक विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासनादेश 12–9–94 द्वारा हस्तान्तरित किये गये तथा शासनादेश दिनांक 5–5–1999 द्वारा ग्राम पंचायतों के नियन्त्रणाधीन किये गये नलकूप चालकों के संवर्ग को शासन द्वारा मृत घोषित करने के कारण विभाग द्वारा अंशकालिक नलकूप चालकों/सहायकों के नियमितीकरण के लिए अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना व अनुसूचित जाति की युवतियों के विवाह हेतु अनुग्रह राशि की जानकारी

23–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना व अनुसूचित जाति की युवतियों के विवाह हेतु दी जाने वाली अनुग्रह राशि के वितरण में देरी के क्या कारण हैं?

यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। अनुसूचित जाति की युवतियों के विवाह हेतु दी जाने वाली धनराशि स्वीकृत उपरान्त जिलों को आवंटित कर दी गई है।

यह योजना पूर्व से ही संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली में विधवा एवं वृद्धा अवस्था पेंशन से लाभान्वित लोगों की जानकारी

24–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 में जनपद चमोली में अब तक (12–08–2002) कितने नये आवेदकों को विधवा एवं वृद्धा अवस्था पेंशन वितरित की गयी तथा गत वर्ष कितने लोग इस सुविधा से लाभान्वित हुए?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

वर्ष 2002 मे जनपद चमोली में दिनांक 12–8–2002 तक नये आवेदकों को विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरित नहीं की गयी है तथा गत वर्ष में 2302 विधवाओं

को विधवा पेंशन तथा 4041 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित कर लाभान्वित किया गया।

पिथौरागढ़ के ग्राम रैतोला में "सुनिश्चित रोजगार योजना" के अन्तर्गत सिंचाई योजना की जानकारी

25–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के ग्राम रैतोला में वर्ष 1996 में "सुनिश्चित रोजगार योजना" के अन्तर्गत सरयू नदी से पम्प द्वारा सिंचाई की कोई योजना स्वीकृत हुई थी?

यदि हाँ, तो क्या वह योजना इस समय कार्य कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को आवंटित धनराशि एवं गतिविधियों की जानकारी

26–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) कार्यरत हैं तथा इस वर्ष अब तक उन्हें कितनी धनराशि विभिन्न स्त्रोतों से किन–किन कार्यों हेतु आवंटित की जा चुकी है।

इस संस्थाओं की मुख्यतया क्या–क्या गतिविधियां हैं?

क्या सरकार इनके कार्यों की जाँच किसी अलग एजेन्सी से करवाती है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद उत्तरकाशी में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित मात्र एक गैर सरकारी संगठन (हरिजन आश्रम स्कूल धारी, कलोगी हरिजन सेवक संघ के तत्वाधान में संचालित) है।

यह संस्था कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा / वस्त्र, पुस्तकों तथा शिक्षकों के वेतन आदि की व्यवस्था करती है।

जी नहीं।

क्योंकि गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित शासनादेश संख्या जी0आई0 / 344 / स0क0 / 02–339 (समाज कल्याण) / 2002, दिनांक

16 जुलाई, 2002 के अनुसार सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से संस्था के कार्यों की जाँच करवाई जाती है।

उत्तरकाशी में स्लिप जोन से उत्पन्न खतरे के कारण खनेड़ा ग्राम को पुनर्वासित किया जाना

27—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पुनर्वास मंत्री को जानकारी है कि जनपद उत्तरकाशी में खनेड़ा स्लिप जोन के कारण खनेड़ा गांव के अस्तित्व को भारी खतरा पैदा हो गया है? यदि हाँ, तो क्या खनेड़ा गांव का पुनर्वास किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत—

खनेड़ा गांव के निकट भू-स्खलन के कुछ दिनों तक यातायात व्यवस्था अवरूद्ध हो गई थी। शासन के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पहल करने के फलस्वरूप वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। चूंकि प्रभावित क्षेत्र आबादी के लगभग ½ किमी० दूरी पर है, गांव की आबादी को कोई खतरा नहीं है। अतः वर्तमान में पुनर्वास कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उत्तरकाशी में राजस्व विभाग में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने की माँग

28—श्री माल चन्द्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में राजस्व विभाग के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं?

क्या इन रिक्त पदों को भरा जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत—

जनपद उत्तरकाशी में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कलेक्ट्री अधिष्ठान एवं भू-लेख अधिष्ठान में तृतीय श्रेणी के कुल 8 एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 28 पद रिक्त हैं।

शासन द्वारा नियुक्तियों में रोक लगाई गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजनौर गंगा बैराज का पानी न रोकने की कार्यवाही की माँग

29—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर गंगा बैराज जो जनपद मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) में स्थित है, तथा लक्सर विधान सभा के खानपुर विकास खण्ड क्षेत्र (उत्तरांचल)

से जिसकी सीमा मिलती है, का अनावश्यक रूप से पानी रोक दिए जाने से लगभग 12 ग्राम जलमग्न हो जाते हैं, जिससे खानपुर ब्लाक के अति पिछड़े खादर क्षेत्र में जन धन की बहुत हानि होती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा बिजनौर बैराज के बाणगंगा के पानी को न रोकने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला बिजनौर प्रशासन से कोई प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की मांग की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

बैराज जनपद बिजनौर में स्थित है। बैराज का पानी रोकने के कारण से ग्राम जलमग्न नहीं होते हैं। इसका संभावित कारण जल प्रभाव अधिक होने व जल स्तर बढ़ जाना हो सकता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है।

उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ शक्तिपुरम में फील्ड हॉस्टल पर कुल परिव्यय एवं रख–रखाव हेतु निविदाओं की जानकारी

30–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ शक्तिपुरम में अवस्थित फील्ड हॉस्टल में कुल कितना परिव्यय किन–किन मदों में किया गया?

क्या मुख्य वस्तुओं की खरीद के लिए तथा रख–रखाव के लिए अखबार के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या दोषी अधिकारियों को सरकार जांच के उपरान्त दण्डित करेगी?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

इस सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

जी नहीं। निविदायें आमंत्रित नहीं की गई।

विभागाध्यक्ष से इस प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने के बाद यथास्थिति निर्णय लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न सं0 30 के उत्तर का संलग्नक

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ शक्तिपुरम में अवस्थित फील्ड हॉस्टल के पुनरोद्धार में निम्नलिखित भवनों/कक्षों में कार्य कराये गये :–

1—चार सं0 वी0 आई0 पी0 कक्ष

2—तेरह सं0 सामान्य कक्ष

3—मीटिंग हॉल

4—डाईनिंग हॉल

5—कोरिडोर

6—जल विद्युत निगम के टाईप चार आवास को एनेक्सी में परिवर्तन

कार्यों की मदों में किये गये व्यय की सूचना निम्नलिखित है :—

1.	चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] अतिथि कक्षों और दो संलग्न कार्यालयों, सम्मेलन कक्ष [प्रथम तल], दो कोरिडोर, डाईनिंग हॉल तथा तेरह साधारण कक्षों के फर्श हेतु मैट/दरी बिछाने की आपूर्ति एवं उसकी लगवाई	रु0	2,13,732.00
2.	चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] अतिथि कक्षों और दो संलग्न कार्यालयों, मीटिंग हॉल [प्रथम तल], दो कोरिडोर, डाईनिंग हॉल तथा तेरह साधारण कक्षों हेतु पर्दों की आपूर्ति एवं उसकी लगवाई ...	रु0	1,45,342.00
3.	मीटिंग हॉल और दो कोरिडोर हेतु सोफासैट का निर्माण, आपूर्ति तथा ढुलाई	रु0	80,352.00
4.	तीन पीस डाईनिंग टेबिल के एक सैट [3 टेबुल, 20 कुर्सियां तथा 15 गोलाकार स्टूल सहित] का निर्माण एवं आपूर्ति ...	रु0	69,750.00
5.	चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] कक्षों और दस साधारण कक्षों हेतु डबल बैड सैटों [साइड टेबल सहित] का निर्माण एवं आपूर्ति ...	रु0	1,55,200.00
6.	चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] अतिथि कक्षों और तेरह साधारण कक्षों हेतु क्वॉयर मैटेस, तकिए, कम्बल, चादरें और तौलिए की आपूर्ति तथा लगवाई	रु0	1,75,548.00
7.	चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] कक्षों हेतु कुल चार नं0 तथा उ0 ज0 वि0 नि0 एनेक्सी हेतु कुल दो नं0 स्प्लिट एयर कन्डीशनरों की आपूर्ति तथा स्थापित करना	रु0	3,17,456.00
8.	(i) चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] कक्षों हेतु कुल चार नं0, भूतल एवं प्रथम तल स्थित मीटिंग हॉल में कुल दो नं0 तथा उ0 ज0 वि0 नि0 एनेक्सी हेतु मात्र एक नं0 रंगीन टैलीविजन सेट की आपूर्ति तथा स्थापित करवाना (ii) चार विशिष्ठ श्रेणी [वी0 आई0 पी0] कक्षों और उ0 ज0 वि0 नि0 एनेक्सी हेतु एक्जास्ट पंखे, गीजर, दो फ्रीज और टेलीविजन स्टैंड की आपूर्ति तथा स्थापित करना	रु0	2,11,688.00
9.	उ0 ज0 वि0 नि0 एनेक्सी हेतु पर्दों, मैटेस, कम्बल, दरियां, तकिए आदि की आपूर्ति	रु0	69,312.00
10.	फील्ड हॉस्टल के पीछे और आस-पास के इलाके से मिट्टी/कूड़ा करकट को हटाना तथा साफ-सफाई	रु0	45,878.00
11.	फील्ड हॉस्टल की दीवारों, छतों पर स्नोसेम रंगाई ...	रु0	44,352.00
	योग :	रु0	15,28,210.00

Say Rs. 15.29 Lacs

मुख्य वस्तुओं की खरीद के लिए तथा रख–रखाव के लिए नियमानुसार निविदायें/कोटेशन के आधार व राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से कार्य सम्पादित कराया गया। नियमानुसार 2.00 लाख तक के कार्यों हेतु अखबारों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित नही की जाती हैं तथा सामान्यतः ये निविदायें विभिन्न कार्यालयों व फर्मों को सूचित करने के आधार पर सम्पादित की जाती है। अतः अखबारों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित नही की गयी। प्रथम दृष्टतयः किसी भी अधिकारी का दोष न होने के कारण दण्डित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

चमोली के नन्द प्रयाग क्षेत्र के भूकम्प से प्रभावित गांवों के पुनर्वास की योजना

31–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में आये विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित नन्दप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने गाँवों के पुनर्वास हेतु चुना गया? उक्त गाँवों के पुनर्वास हेतु सरकार क्या योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद चमोली में आये विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित नन्दप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 9 ग्रामों को विस्थापन हेतु चुना गया है। जिसमें से 8 ग्रामों के 263 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है, स्थायी पुनर्वास अनुमन्य नहीं है। अतः वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चमोली के नन्द प्रयाग क्षेत्र में वर्ष 1999 में भूकम्प से प्रभावित भवन स्वामियों को गृह अनुदान वितरण

32–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में 1999 में आये विनाशकारी भूकम्प के दौरान नन्द प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने भवनों को गृह अनुदान राशि की भिन्न–भिन्न श्रेणियों में रखा गया था?

क्या समस्त चयनित भवन स्वामियों को गृह अनुदान वितरण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद चमोली में वर्ष 1999 में आये विनाशकारी भूकम्प के दौरान नन्द प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के कुल 14676 भवनों को गृह अनुदान राशि की श्रेणी जी.–1 से जी.–5 तक की भिन्न–भिन्न श्रेणियों में रखा गया था।

अधिकांश भवन स्वामियों को गृह अनुदान की धनराशि वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में अवशेष प्रभावितों में गृह अनुदान की धनराशि वितरित की जा रही है।

चमोली के भू-स्खलन क्षेत्र घाट के गाँवों के पुनर्वास की योजना

33-श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में भू-स्खलन क्षेत्र के कौन-कौन गाँव पुनर्वास हेतु प्रस्तावित हैं? पुनर्वास की योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी?

डा0 हरक सिंह रावत-

विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत भूकम्प/भू-स्खलन से प्रभावित 8 ग्रामों में से 7 ग्रामों के 285 परिवारों को विस्थापित किया जाना था, जिनमें से 180 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है, स्थायी पुनर्वास अनुमन्य नहीं है। अतः वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चमोली के पोखरी में रणवत चांदनीखाल सिंचाई योजना की लागत से सिंचित भू-भाग की जानकारी

34-श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रणवत चांदनीखाल पाईप लाईन सिंचाई योजना के निर्माण में कितनी लागत आयी तथा वर्तमान में इससे कितना भू-भाग सिंचित हो रहा है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण-

जनपद चमोली, विकास खण्ड पोखरी में रणवत नहर निर्माण में कुल धनराशि रु0 20.74 लाख व्यय हुई तथा निर्माण के समय से नहर से फसली वर्ष 1406 में 07 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही थी। यह नहर वर्ष 1998 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसके कारण वर्तमान में उक्त नहर से कोई सिंचाई नहीं हो रही है।

हाईड्रम रिपेयरिंग कार्य की समयावधि/लागत की जानकारी एवं रिपेयरिंग कार्य विभागीय अधिकारियों को सौंपने विषयक

35-श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हाईड्रम रिपेयरिंग का कार्य कितनी समयावधि में किया जाता है तथा रिपेयरिंग पर कुल कितनी लागत आती है?

क्या यह सत्य है कि उक्त रिपेयरिंग का कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है?

क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी यह कार्य करने में सक्षम हैं?

यदि हाँ, तो क्या विभाग रिपेयरिंग की कार्य की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को सौंपने पर विचार करेगा?

यदि नही, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

हाईड्रम रिपेयरिंग का कार्य वार्षिक रख–रखाव के दौरान किया जाता है जिसमें लगभग एक सप्ताह लगता है। वार्षिक रिपेयरिंग में 5,000 से 12,500/– व्यय होते हैं।

जी नहीं।

जी हाँ।

रिपेयरिंग का कार्य विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन व दैनिक श्रमिकों से ही कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

चमोली में अनुसूचित जाति के कुल संचालित छात्रावास में प्रवेश की जानकारी एवं छात्रावास की माँग

36–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कुल कितने छात्रावास संचालित हैं तथा विगत वर्ष कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया?

क्या सरकार अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए भी जनपद चमोली में छात्रावास खोलने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद चमोली में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक छात्रावास संचालित है तथा विगत वर्ष कुल 48 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

जनपद चमोली से अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित किए जाने के निमित्त जनपद स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली में विगत/वर्तमान सत्र में प्रदान छात्रवृत्ति की जानकारी

37–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में विगत वर्ष कुल कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी तथा वर्तमान

सत्र में कितने छात्रों को उक्त जनपद में छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद चमोली में विगत वर्ष अनुसूचित जाति के 17873 छात्रों तथा अनुसूचित जनजाति के 2503 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्तमान सत्र में उक्त जनपद में अनुसूचित जाति के 16727 तथा अनुसूचित जनजाति के 1979 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है तथा छात्रवृत्ति की माँग अभी भी प्राप्त हो रही है।

चम्पावत के टनकपुर, बनबसा को तहसील तथा विकास खण्ड बनाने की माँग

38–श्री प्रकाश पंत–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चम्पावत में टनकपुर तथा बनबसा क्षेत्र के नागरिक तहसील तथा विकास खण्ड निर्मित किये जाने की मांग लम्बे समय से कर रहे हैं?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त तहसील तथा विकास खण्ड का गठन कर लेगी?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि परिसीमन के दौरान प्रशासनिक इकाईयों में परिवर्तन न किया जाय।

उत्तरकाशी सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 में गूल निर्माण हेतु आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि की जानकारी

39–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2001–2002 में कुल कितनी धनराशि गूल निर्माण हेतु आवंटित की गई है, तथा कितनी धनराशि व्यय की गई?

निर्माण कार्य कराए जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्ष 2001–2002 हेतु गूल निर्माण मद में रु0 153.27 लाख आवंटित हुए थे, तथा रु0 153.27 लाख व्यय किये गये।

निर्माण कार्य मस्टररौल पद्धति से सम्पादित किये गये हैं।

देहरादून में चैशायर होम, सामाजिक संस्था को भूमि आवंटन एवं संस्था के कार्यों की जानकारी

40–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राइफल राइडर चैशायर होम देहरादून नामक कोई सामाजिक संस्था, जनपद देहरादून में कार्यरत है?

यदि हाँ, तो इस संस्था को सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है?

यदि हाँ, तो कब और कितने वर्षों के लिए?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्थान को भूमि दी गई है, उनकी पूर्ति हो रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

जी हाँ।

स्वैच्छिक संस्था रैफल राइडर चैशायर होम देहरादून को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 10–06–1959 से 10 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी। पुनः दिनांक 10–06–1969 से 40 वर्षों तक भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ाई गई है।

जी हाँ। स्वैच्छिक संस्थान रैफल राइडर चैशायर होम, देहरादून मानसिक रोगियों, कुष्ठ रोगियों के लिए संतोषजनक कार्य कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली को सूखाग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित करने की माँग

41–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी –

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली को सूखाग्रस्त की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ। जनपद चमोली को आंशिक रूप से सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया गया है।

ग्रामीण पुनर्वास के तहत व्यापारियों को साख भत्ता देने एवं साख सीमा मानक विषयक

42–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण पुनर्वास के तहत ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को साख भत्ता दिलाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो साख सीमा की कितनी श्रेणियां बनाये जाने का प्रस्ताव है एवं श्रेणियों का मानक क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

भारत सरकार से ग्रामीण क्षेत्र के पात्र दुकानदारों के लिए प्रतिपूर्ति दिलाने की स्वीकृति जारी कर दी है।

प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दी जानी प्रस्तावित है :–

(अ) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दुकानों एवं डूब क्षेत्र के प्रभावित बाजारों में स्थित दुकानों हेतु रु0 60,000/– प्रति दुकान।

(ब) डूब क्षेत्र से प्रभावित अन्य मार्गों पर स्थित दुकानदारों हेतु रु0 40,000/– प्रति दुकान।

उत्तरांचल में पटवारी चौकियों की संख्या तथा इन पर पटवारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना

43–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में कितनी पटवारी चौकियां बन चुकी हैं?

क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश पटवारी चौकियों पर कोई पटवारी नहीं रहता है?

यदि हाँ, तो क्या पटवारी चौकियों पर सरकार पटवारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 हरक सिंह रावत–

अब तक 245 पटवारी चौकियां बन चुकी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं गाँवों में सहायता प्रदान करने की जानकारी

44–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में उत्तरकाशी जनपद के किन–किन विकास खण्डों के किन–किन गाँवों को अति सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया तथा शासन द्वारा इन गाँवों में क्या–क्या सहायता प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मानसून अवधि में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोला एवं मोरी के कुल 499 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। विकास खण्ड डुण्डा के 108 प्रभावित ग्रामों में 4.77 कुन्तल तोरिया, 55.79 कु0 डी0ए0पी0, 73.67 कु0 यूरिया, विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के 80 ग्रामों में 10.90 कु0 तोरिया, 91.42 कु0 डी0ए0पी0 एवं 107.97 कु0 यूरिया, विकास खण्ड नौगांव के 172 ग्रामों में 12.50 कु0 तोरिया, 155.02 कु0 डी0ए0पी0 व 200 कु0 यूरिया, विकास खण्ड

पुरोला में 64 ग्रामों को 10.20 कुन्तल तोरिया, 95.73 कुन्तल डी0ए0पी0 तथा 129.39 कु0 यूरिया एवं विकास खण्ड मोरी के 67 ग्रामों में 7.12 कुन्तल तोरिया, 86.56 कुन्तल डी0ए0पी0 वितरित किया गया है।

जनपद हरिद्वार में रामगंगा कमाण्ड योजना के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के प्रस्ताव

45—श्री हरिदास—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में पूर्व सरकार द्वारा रामगंगा कमाण्ड योजना के अन्तर्गत नहरों, राजवाहों, माइनरों की नालियों को पक्का कराए जाने से सम्बन्धित अधूरे कार्यों को पूर्ण कराए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

जनपद हरिद्वार की नहरें, रजवाहें तथा माइनर आज भी उत्तरांचल को हस्तान्तरित नहीं हुई हैं और उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में हैं। अतः इनकी नालियों को पक्का कराने का कार्य वर्तमान व्यवस्था में उत्तरांचल शासन द्वारा कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद हरिद्वार की नहरें उत्तरांचल राज्य में हस्तान्तरित होने के पश्चात नालियों को पक्का कराए जाने का शेष कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरांचल में अध्ययनरत अन्य राज्यों के/हरिद्वार के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति विषयक

46—श्री हरिदास—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में अन्य राज्यों से अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र—छात्राओं को गत दो वर्षों में छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद हरिद्वार के विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

उत्तरांचल में अन्य राज्यों से अध्ययनरत पूर्वदशम कक्षाओं के अनुसूचित जाति के छात्र—छात्राओं को गत दो वर्षों से छात्रवृत्ति दी जा रही है, किन्तु दशमोत्तर कक्षाओं में प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति के छात्र—छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है, क्योंकि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उन्हीं छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो राज्य के मूल निवासी हों।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में भूस्खलन संवेदनशील गाँवों में भूस्खलन की रोकथाम हेतु धन व्यवस्था

47—डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील गांवों क्रमशः पिपराण, खेनुरी, लुदाउ (मज्यू लगा वेनर) स्यूण, देवग्राम, बड़ागांव, घोड़साल में भूस्खलन की रोकथाम हेतु धन की व्यवस्था किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

बड़ागांव को छोड़कर शेष किसी भी ग्राम में भूस्खलन की रोकथाम हेतु धनावंटन के लिए किसी भी स्तर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। बड़ागांव में सुरक्षात्मक कार्यों हेतु गत वर्ष भूमि संरक्षण विभाग को दैवी आपदा मद से 1.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रकरण में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देहरादून के डोईवाला के ग्राम खदरी खड़कमाफ में ग्राम समाज की भूमि भू–माफियाओं से मुक्त कराने की माँग

48—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला अन्तर्गत ग्राम खदरी खड़कमाफ में ग्राम समाज की 13 एकड़ भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि को भू–माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन (हार्क) को प्राप्त धनराशि की जानकारी

49—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकास खण्ड में कार्यरत गैर सरकारी संगठन हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हार्क) को अप्रैल, 2001 से अब तक कुल कितनी धनराशि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का क्या उपयोग किया गया?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकास खण्ड में कार्यरत गैर सरकारी संगठन हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हार्क) को अप्रैल, 2001 से अब तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गई।

वर्ष 2003 में हज यात्रियों की सुविधा प्रबन्ध की जानकारी

50–श्री तसलीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगामी वर्ष 2003 ई0 में हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

समस्त आवश्यकीय प्रबन्ध किए जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल के भावर क्षेत्र में सिंचाई समस्या के समाधान हेतु गौला नदी पर प्रस्तावित "जमरानी बाँध" का प्रस्ताव

51–डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के भावर क्षेत्र में किसानों की सिंचाई सम्बन्धी परेशानियों को मध्य नजर रखते हुए गौला नदी पर पूर्व से प्रस्तावित 'जमरानी बाँध' के निर्माण कार्य का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। स्वीकृति के उपरान्त ही मुख्य बाँध का निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा बंगालियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से वार्ता

52–श्री नारायण पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बंगालियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से वार्ता कर रही है? इस विषय में अद्यतन स्थिति क्या है?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

बंगाली समुदाय के अन्तर्गत नमोशूद्र, पौण्ड्र एवं माँझी जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। अग्रेतर कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

अन्त्योदय योजना मद के राशन का सुचारू रूप से वितरण

53–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अन्त्योदय योजना मद का राशन बेसहारा लोगों को सुचारू रूप से दिया जा रहा है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार को छोड़कर अन्य जनपदों में खाद्यान्न का आवंटन पात्र व्यक्तियों को सुचारू रूप से किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय डिपो में गेहूँ उपलब्ध न होने तथा चावल की गुणवत्ता खराब होने के कारण इस योजना में खाद्यान्न का आवंटनानुसार वितरण नहीं कराया जा सका है। माह अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक 735 मै0 टन गेहूँ एवं 1736 मै0 टन चावल के आवंटन के विरुद्ध लगभग 456 मै0 टन गेहूँ एवं 1286 मै0 टन चावल का वितरण नहीं हो सका है। विगत माह से इस योजना के गेहूँ का वितरण नियमित रूप से कराया जाने लगा है किन्तु चावल का वितरण पूर्ववत् स्थिति होने के कारण नहीं कराया जा पा रहा है, जिसे अब स्टेट पूल में संग्रहित होने वाले चावल से योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से चावल दिया जायेगा।

गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों को खाद्य पदार्थों की दरों में संशोधन की जानकारी

54–श्री प्रकाश पंत–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरें वर्तमान में संशोधित की गयी हैं? यदि हाँ, तो संशोधित दरें क्या हैं? तथा वे कब से प्रभावी हैं?

डा0 हरक सिंह रावत–

गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले गेहूँ एवं चावल की दरें वर्तमान में 01 जुलाई, 2002 से संशोधित की गई हैं। संशोधित दरें निम्नवत् हैं :–

क्र0सं0	खाद्यान्न	प्रति कुन्तल	
		केन्द्रीय बिक्री दर	फुटकर बिक्री दर
1.	गेहूँ	610	660
2.	चावल कामन	795	845
3.	चावल ग्रेड–ए	830	880

उक्त दरें 01 जुलाई, 2002 से प्रभावी हैं।

वर्ष 1999 में जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली में भूकम्प से प्रभावित परिवारों को राहत राशि मुहैया कराने की माँग

55—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1999 में जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली में आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त जिन मकानों को श्रेणी एक, दो और तीन में विभक्त किया गया था, उन परिवारों को सरकार द्वारा कोई राहत धनराशि प्रदान की गई है? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त परिवारों को राहत धनराशि मुहैया करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

वर्ष 1999 में जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली में आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों को श्रेणी जी–1, जी–2 एवं जी–3 में विभक्त किया गया था। जिनको क्रमशः रु0 800/– रु0 2,500/– एवं रु0 7,500/– की धनराशि गृह अनुदान के रूप में अनुमन्य है। जिसमें से अधिकांशतः प्रभावितों को गृह अनुदान की धनराशि भुगतान कर दी गई है। वर्तमान में अवशेष प्रभावितों में गृह अनुदान वितरण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश में वर्ष 2002 में भूस्खलन एवं बाढ़ से प्रभावित जनपद एवं कृषक परिवारों को राहत प्रदान करने की जानकारी

56—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 में सम्पूर्ण उत्तरांचल में भूस्खलन, बाढ़ से कितने कृषकों के मकानों एवं भूमि का नुकसान हुआ है?

क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि सबसे अधिक भूस्खलन एवं बाढ़ से किस जनपद को अधिक हानि हुई?

सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को अब तक क्या–क्या राहत प्रदान की गई है?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

वर्ष 2002 में सम्पूर्ण उत्तरांचल में भूस्खलन, बाढ़ से 3531 कृषकों के मकानों एवं भूमि का नुकसान हुआ है।

भूस्खलन एवं बाढ़ से जनपद उत्तरकाशी को अधिक हानि हुई है।

दैवीय आपदा से प्रभावितों में अहैतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान के रूप में राहत सहायता प्रदान की गई है।

जनपद टिहरी, बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री

57—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई है?

क्या सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10/11 अगस्त, 2002 को बादल फटने से सार्वजनिक सम्पत्तियों को रु0 674.75 लाख तथा निजी सम्पत्तियों के अन्तर्गत 38 भवन पूर्ण एवं 151 भवनों को आंशिक रूप से क्षति हुई तथा 153.142 है0 कृषि भूमि को क्षति होने के फलस्वरूप रु0 16.88 लाख की क्षति हुई है। इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों एवं निजी सम्पत्तियों को कुल रु0 691.63 लाख की क्षति हुई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी जानकारी

58–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के समान वेतन मिल रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं।

प्रकरण विचाराधीन है।

कुमायूँ मण्डल में लघु सिंचाई विभाग का एक अतिरिक्त डिवीजन खोलने की माँग

59–श्री प्रकाश पंत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ मण्डल में लघु सिंचाई विभाग का एक ही डिवीजन वर्तमान में कार्यरत है?

यदि हाँ, तो क्या जनपद पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त डिवीजन खोले जाने का प्रस्ताव शासन में प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो कब तक अतिरिक्त डिवीजन खोला जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग में कुमायूँ मण्डल में एक ही डिवीजन का प्राविधान है, परन्तु अतिरिक्त डिवीजन खोले जाने पर विचार किया जा रहा है।

विभागीय ढांचा तैयार होने पर कार्यवाही संभव होगी।

सिंचाई विभाग में कार्यरत मुंशी व हेड मुंशी के वेतन विसंगति व पदनाम परिवर्तन की जानकारी

60–श्री कैलाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत मुंशी व हैड मुंशी पदधारकों की वेतन विसंगति व पदनाम परिवर्तन पर मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल ने अपने पत्र संख्या 739/मु0अ0/सिं0वि0उ0/ई–21, दिनांक 12–11–2002 द्वारा जो संस्तुति शासन को प्रेषित की है, क्या उस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो इस प्रकरण पर सरकार कब तक शासनादेश जारी करेगी?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विभागीय ढांचा तैयार होने पर तद्नुरूप कार्यवाही की जायेगी।

अल्मोड़ा में संचालित राजकीय बालिका निकेतन एवं शिशु सदन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतन का भुगतान

61–श्री कैलाश शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1979–80 से संचालित राजकीय बालिका निकेतन एवं राजकीय शिशु सदन में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक वेतन भुगतान उत्तरांचल बनने के बाद नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक यह भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

राजकीय बालिका निकेतन एवं राजकीय शिशु सदन में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक वेतन भुगतान किये जाने हेतु, जिला प्रोवेशन अधिकारी, अल्मोड़ा को निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या 2744–52(1)/म0क0–लेख/बजट/2002–2003, दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के द्वारा रुपये 3,65,000/– (रुपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

टिहरी गढ़वाल के स्याँसू नामक स्थान पर निर्माणाधीन पुल की भू–गर्भीय जांच की माँग

62–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के स्याँसू नामक स्थान पर निर्माणाधीन 39 मी0 स्पैन के हल्का वाहन पुल के दोनों ओर के स्तम्भों की मिट्टी पत्थर इत्यादि की भू–गर्भीय जांच की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

हरिद्वार के टोंगिया किसान व मजदूर परिवारों की कृषि भूमि देने की मांग की जानकारी

63–श्री तसलीम अहमद–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि ग्राम कमलानगर, पुरुषोत्तमनगर, तहसील हरिद्वार, जनपद हरिद्वार के टोंगिया किसान व मजदूर ग्राम पुरुषोत्तमनगर, कमलानगर को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा टिहरी के पुनर्वास परिवारों की तरह पथरी वन क्षेत्र से प्रत्येक टोंगिया किसान मजदूर परिवार को कृषि कार्य के लिए भूमि देने की मांग के लिए एक वर्ष से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार टोंगिया किसानों व मजदूरों की मांग को स्वीकार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

समय–समय पर इन लोगों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है।

जी नहीं।

ग्राम कमलानगर व पुरुषोत्तमनगर के टोंगिया किसान व मजदूर आरक्षित वन भूमि पर बसे हुए हैं। जब तक आरक्षित वन भूमि को अनाधिसूचित (डिनोटिफाई) करते हुए राजस्व विभाग को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता, तब तक राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

टिहरी के बूढ़ाकेदार घाटी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों एवं पुलों के पुनर्निर्माण की जानकारी

64–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 10 अगस्त, 2002 को जनपद टिहरी के बूढ़ाकेदार घाटी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों एवं पुलों

का पुनर्निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किये जाने सम्बन्धी कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक क्षतिग्रस्त नहरों के पुनर्निर्माण के लिये धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

10 अगस्त, 2002 को जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार घाटी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पुलों (पैदल/वाहन मार्गों पर स्थित) के पुनर्निर्माण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को रु0 90.56 लाख की धनराशि आपदा राहत कोष से आवंटित की जा चुकी है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि आपदा राहत कोष से अनुमन्य नहीं है।

पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर में बसे राजि जनजातियों को भूमि आवंटन की जानकारी

65–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर में बसे राजि जनजातियों को भूमि आवंटन का प्रकरण विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उन्हें भूमि का आवंटन किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में स्थित मजारे शरीफ ख्वाजा साहब पिरान कलियर की आय/व्यय की जानकारी

66–श्री तसलीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में स्थित मजारे शरीफ ख्वाजा साहब पिरान कलियर वर्ष 2001 व 2002 में सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय कितनी है?

तथा प्राप्त आय का किस–किस मद में कितना व्यय किया गया है?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद हरिद्वार में स्थित मजारे शरीफ ख्वाजा साहब पिरान कलियर की वित्तीय वर्ष 2001–2002 में सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय रुपये 1,92,60,187.25 (रुपये एक

करोड़ बयानवें लाख साठ हजार एक सौ सत्तासी तथा पच्चीस पैसे मात्र) है।

प्राप्त आय का वित्तीय वर्ष 2001–2002 में रुपये 1,94,68,627.33 (एक करोड़ चौरानब्बे लाख अड़सठ हजार छः सौ सत्ताईस तथा तैंतीस पैसे मात्र) का व्यय किया गया। मदवार व्यय विवरण संलग्न है।

OFFICE OF DARGAH SHAREEF PEERAN KALIYAR, ROORKEE
Distt. Hardwar (Uttaranchal)

Yearly Trial Statement of A/c for Financial Year 2001-2002
PAYMENT/EXPENSES (Dr.) HEADWISE W.E.F. 01-04-2001 TO 31-03-2002

Name of Heads	Amount (Dr.)
Lungar	15,42,105.00
Mosque Sabari	39,362.00
Misc.	2,84,342.00
Electrical	7,72,745.25
Sabari Sarai, Roorkee	4,35,287.20
Urs Mela-2001	2,85,000.00
Telephones STD/PCO	25,300.00
Advertisement	48,930.50
Audit Exp.	10,000.00
Conveyance	6,166.00
Consumable Stores	1,68,716.00
Cleaning	1,02,850.00
Construction	48,86,935.13
Furniture	4,030.00
Fuel & Maintenance of Generator	46,420.00
Educational	6,500.00
Kafan Dafan	3,726.00
Legal	5,887.00
Mehman Nawazi	58,277.00
Nazrana	64,836.00
Office	22,290.00
Postage	612.00
Repair & Maintenance	1,33,766.50
Salary	4,52,395.50
Stationery	11,429.00
Travelling	14,337.00
Water Supply Arrangement	6,63,233.00
W.D.C. Lucknow	15,01,103.50
Contribution of Waqf Board, Lko.	2,00,000.00
Total Expenses	1,17,96,952.58
Creditors (Payment to Creditors)	21,76,049.25
Debtors	34,17,805.50
Imprest	2,000.00
Running Payment as Advance	20,45,820.00
Total Payments	1,94,68,627.33
Closing Balance:	
Cash	1,34,448.25
U.B.I., Roorkee A/c No. 3410	7,30,518.00
Grand Total	2,03,33,593.58

राजस्व पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि की जानकारी

67—श्री कैलाश शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार में पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

राजस्व पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्या केन्द्र सरकार से कोई धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है?

यदि हाँ, तो कितनी धनराशि व्यय की गई है?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

राजस्व पुलिस हेतु हैण्ड सैट, वायरलेस सैट एवं वाहन की व्यवस्था तथा पटवारी चौकियों का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अब तक 2.50 करोड़ रु0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

समस्त धनराशि निर्गत कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं उनमें से कुंवर प्रणव सिंह जी की सूचना को स्वीकार कर रहा हूँ।

राज्य में गूजर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सूचना को स्वीकार किया। मैं इस सूचना को पढ़कर सुनाना चाहूँगा। मान्यवर, पूर्व में शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में गूजर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा प्राप्त था, उसके अन्तर्गत गूजर छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त थी। उत्तरांचल गठन के पश्चात् उक्त छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई थी, जिसको मेरे द्वारा नियम 301 के द्वारा दिनांक 14—06—02 को विधान सभा में उठाया गया था, जिस पर शासन ने संज्ञान लेकर, समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनः स्थापित कराया गया है। प्रदेश शासन द्वारा किए जा रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति के परिसीमन में मेरी माँग है कि उत्तरांचल राज्य में गूजर जाति को विमुक्त जाति श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्योंकि गूजर समुदाय पिछड़ा हुआ निर्धन वर्ग है एवं उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा उनको यह दर्जा प्राप्त है। अतः उत्तरांचल में भी

गूजर जाति की सामयिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति/परिवेश को दृष्टिगत रख अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

निधन के निदेश

स्वर्गीय रामदत्त जोशी, पूर्व सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष–

स्वर्गीय रामदत्त जोशी जी का जन्म 23 नवम्बर, 1921 में मल्लीताल में हुआ था। श्री रामदत्त जोशी ने कक्षा 5 तक की शिक्षा मल्लीताल, नैनीताल से, कक्षा 8 तक शिक्षा रामनगर तथा कक्षा 10 तक की शिक्षा काशीपुर से प्राप्त की। इसके बाद की शिक्षा के लिए लखनऊ चले गये। स्वर्गीय श्री रामदत्त जोशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्रमिक नेता एवं साहित्यकार थे। वर्ष 1942 में 20 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान फिरंगी सरकार द्वारा इन्हें जेल भेजा गया, जेल से छूटने के बाद श्री रामदत्त जोशी ने अपने क्रान्तिकारी साथियों के साथ "चेतना" नामक संगठन बनाया, वर्ष 1955 में लगे सिंचाई टैक्स के विरोध में सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया, वर्ष 1948 में नैनीताल बैंक लि0 शाखा के प्रबन्धक पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 1956 से तराई यूनियन संघ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1977 में नैनीताल विधान सभा क्षेत्र से दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्वर्गीय श्री रामदत्त जोशी पत्रकारिता में प्रसिद्ध थे, "सिसकी वेदना" नामक पत्रिका (कविता संग्रह) पुरस्कृत हो चुकी है। आपके द्वारा "बिगुल" नामक समाचार पत्र भी निकाला गया जिसके आप प्रधान सम्पादक भी थे। स्वर्गीय श्री रामदत्त जोशी का जन्म दिवस 23 नवम्बर को हिन्दू मजदूर सभा द्वारा "श्रमिक चेतना दिवस" के रूप में मनाया जाता है। दिनांक 1 जुलाई, 2002 को 81 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। श्री रामदत्त जोशी का जीवन सादगीपूर्ण था, उनका कहना था मनुष्य अपने विचारों व कर्मों से ही महान बनता है।

अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा गया।)

द्वितीय सत्र 2002 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सन्दर्भ में काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 5-6-2002 द्वारा विशेषाधिकार हनन की यह सूचना दी गयी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित उनके द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर में उनको 1 मेगावाट से ऊपर की क्षमता वाली परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराई गई है, जबकि प्रश्न राज्य में परियोजनावार कुल स्थापित विद्युत क्षमता के सम्बन्ध में पूछा गया था।

माननीय सदस्य का कथन है कि उत्तर में 1 मेगावाट से कम परियोजनाओं का भी ब्यौरा दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार सरकार ने उत्तर देने में लापरवाही बरती है और पूरा उत्तर न देना सदन को गुमराह करना है जोकि सदन की अवमानना है। माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना के सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री के पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2002 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी में यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नोत्तर देते समय 1 मेगावाट तक क्षमता की सूचना ही संकलित हो सकी थी, इसी कारण से उत्तर में यह स्पष्ट कराया गया कि सूचना मात्र 1 मेगावाट की उपलब्ध क्षमता की परियोजनाओं की है, यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तर में 1 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाओं का ब्यौरा तत्समय समयाभाव में संकलित करना सम्भव नहीं हो पाया जिसके कारण सदन तथा माननीय सदस्यगणों को हुए कष्ट के लिए खेद है। माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना के सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के अवलोकनोपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है तथापि शासन से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में प्रश्नों का उत्तर देते समय अधिक सतर्कता बरती जाया करे। मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 64 पर श्री टम्टा जी को सुन रहा हूँ।

सदन में व्यवधान उत्पन्न करने तथा पीठ के आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में "भारतीय जनता पार्टी" के मा0 सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी नोटिस का संज्ञान लिया है। मान्यवर, सदन नहीं चल पाया, सदन न चल पाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जाना है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी सदन के अन्दर और बाहर अव्यवस्था फैला रही है, यह एक सोची–समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। मान्यवर, यह विधान सभाओं के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब माननीय सदस्यों को सदन के अन्दर आने से रोका गया।

मान्यवर, दिनांक 13–12–2002 तथा दिनांक 16–12–2002 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत दी गई कथित सूचना को लेकर निरन्तर प्रदर्शन किया जा रहा है।

नियम 314 के अन्तर्गत यह स्पष्ट लिखा गया है "अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जाएगी, किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय पर अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी"। भाजपा के सदस्यों द्वारा माननीय

अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत अनुमति न दिए जाने पर "वेल" में आकर "तानाशाही नहीं चलेगी, गुण्डागर्दी नहीं चलेगी" जैसे नारे लगाए गए।

माननीय, अध्यक्ष, विधान सभा के ऊपर तानाशाही तथा गुण्डागर्दी का आरोप लगाना स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष तथा सदन की अवमानना था।

(क) हाल ही में गठित निश्चित विषय है,

(ख) प्राग्दर्शन से विदित है,

(ग) सदन का हस्तक्षेप आवश्यक है।

दिनांक 13–12–2002 को इन्हीं सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष के विधान सभा आते समय सदन की लॉबी में उनका रास्ता रोका गया तथा इसी प्रकार के नारे लगाए गए, जो माननीय सदन से बाहर माननीय अध्यक्ष की स्पष्ट अवमानना है।

सम्बद्ध लेखों के लिए प्रमाण के रूप में विधान सभा की कार्यवाही उपलब्ध है, अतः नियम 63 के अन्तर्गत अवमानना के प्रश्न का संज्ञान लेने के लिए नियम 64 के अन्तर्गत शिकायत की सूचना प्रेषित की जा रही है। नियम 66 के अन्तर्गत प्रस्तुतिकरण तथा सदन में हमारी बात को सुनने की अनुमति देने का अनुरोध है व सदन की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज ही चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध है।

मान्यवर, 13–12–2002 को ये लोग "वेल" में आ गए और नारेबाजी करने लगे, तब सदन स्थगित किया गया। फिर जब हम लोग सदन में आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन की लॉबी में बैठ गए और हम लोगों का रास्ता रोका गया। मान्यवर, एक तरफ तो बाहर प्रदर्शन करके लोगों का रास्ता रोका गया और यहाँ पर हम लोगों का रास्ता रोका गया। मान्यवर, आज तक देश की किसी भी विधान सभा में माननीय अध्यक्ष जी को नहीं रोका गया, पर यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी को भी आने से रोका गया। फिर माननीय अध्यक्ष जी मार्शल की सहायता से सदन में आए। मान्यवर, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, सदन संचालन की बात करते हैं और वे लोग पिछली सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वह सदन के माननीय अध्यक्ष जी के साथ ऐसा आचरण करेंगे तो उनके सामने सदन की क्या स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में सदन नहीं चल पाएगा। मान्यवर, इससे बड़ी सदन की क्या अवमानना होगी, इस सदन में माननीय सदस्यों को आने से रोकेंगे तो कैसे चर्चा होगी। मान्यवर, "वेल" में आना एक आखिरी हथियार होता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण ने अपना अधिकार मान लिया और "वेल" में आ गए जिससे सदन नहीं चल पा रहा है। मान्यवर, इससे गलत संदेश जा रहा है, ये अपनी बात लोकायुक्त में कह सकते हैं। हम लोगों ने भी प्रदेश में प्रदर्शन किये थे।

हम भी हजारों की संख्या में थे, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तमाम लोग जो इस बात को लेकर विधान सभा में तमाशा खड़ा कर रहे हैं, मुझे तो मान्यवर, यह लगता है कि ये लोग स्वयं भी इसमें लिप्त थे। मान्यवर, हमारे एक सम्मानित विधायक थे, जेल में उन्हें एक क्रिमनल के साथ रखा गया और क्रिमनल सा व्यवहार उनके साथ किया गया, क्या मान्यवर, यह इस सदन की अवमानना नहीं थी। मान्यवर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार

की बात कर रहे हैं। इसका जवाब इनको इनके शासन में पिछले डेढ–दो साल में व्याप्त भ्रष्टाचार का जवाब स्वयं जनता ने इन्हें दे दिया। लाखों रुपये इनकी पार्टी के कार्यालय में किस बात के थे। मान्यवर, यह वसूली गई राशि थी। यह गठजोड़ की राजनीति थी जो पिछले डेढ–दो साल में भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। यदि यह इनकी वैध सम्पदा थी तो इन्होंने इसे किसी बैंक में जमा क्यों नहीं किया। मान्यवर, मुझे तो यह लगता है कि जो इन्होंने घोषित किया है, उससे भी ज्यादा राशि चोरी हुई होगी।

मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो परम्परा वेल में आने की है और माननीय सदस्यों को रोकने की है, यदि इसे रोका नहीं गया तो यह सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, आपने अवमानना के नोटिस को चर्चा के लिए स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल एक नवोदित राज्य है। इस प्रदेश की लाखों–लाख जनता ने नई आशाओं, नई अपेक्षाओं, नए सपनों के लिए इस राज्य के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान और बलिदान देकर इस राज्य का निर्माण कराया, लेकिन आज उनके सपनों के इस राज्य की विधान सभा में जो घटित हो रहा है, माननीय पीठ के विरुद्ध, माननीय पीठ के अपमान में, उससे उत्तरांचल के जन–जन तक जो सन्देश जा रहा है, उससे हम इस सदन के सभी सदस्य व्यथित हैं, दुखी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश, यहाँ का जनमानस पूरे देश में ही नहीं, कई क्षेत्रों में विदेशों तक में अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध है। कई क्षेत्रों में हमारे लोग अग्रणी रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक नेतृत्व का क्षेत्र रहा हो, चाहे संसदीय गरिमा का क्षेत्र रहा हो, लेकिन आज इस सदन में जो घटित हो रहा है, उससे व्यथित होकर ही हमने यह अवमानना का नोटिस दिया है। जैसा कि पिछले 2–3 दिन से लगातार यहाँ पर देखने में आ रहा है कि हमारे साथी जो विरोधी पक्ष के सदस्य हैं, वे अपनी बात कहलवाने के लिए, मनवाने के लिए, जो तरीके अपना रहे हैं, उनको कम–से–कम हम अपने अनुभवों से तो अच्छा नहीं ठहराते, नियम क्या हैं यह दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से माननीय पीठ के निर्देश की और यहाँ तक कि निवेदन की अवहेलना की जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सदन के माननीय अध्यक्ष सदन में आ रहे हैं और हमारे विरोधी पक्ष के लोग वेल में बैठे हैं, एक साधारण शिष्टाचार की बात नहीं अपना रहे हैं। मान्यवर, इसी से व्यथित होकर हमने यह अवमानना का नोटिस दिया है।

मान्यवर, जिस तरह से इस सदन में माननीय सदस्यों को अन्दर आने से रोका गया। अगर ऐसे ही माननीय सदस्यों को अन्दर आने से रोका जाएगा, तब इस सदन से प्रदेश की जनता कितनी लाभप्रद होगी, यह सोचनीय प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ हैं। हम सब सदस्यगण जिन्होंने अवमानना की नोटिस दी है। मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि आपको एक नजीर बनानी होगी कि उत्तरांचल विधान सभा में एक ऐसा निर्णय माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया। जिसको नजीर मानते हुए देश के अन्य सदनों में सम्मानित सदस्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लायेंगे। मान्यवर, आपको आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाना होगा, ऐसा हम माननीय सदस्यगणों का अनुरोध है। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस अवमानना की नोटिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह सदन पूरे प्रदेश की जनता की अभिव्यक्ति का नेतृत्व करता है और हम सदस्यगण पूरे प्रदेश की जनता की अभिव्यक्ति एवं पीड़ा को यहाँ पर उठाते हैं। मान्यवर, जो तीन दिनों से इस प्रदेश की जनता की अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रतिपक्ष ने बहुत गम्भीर अपराध किया है। यह सदन की अवमानना है। हम सब सदस्यगण इस अवमानना का विरोध करते हैं। मान्यवर, यह प्रजातंत्र है। मान्यवर, इस देश के अन्दर या प्रदेश के अन्दर जिन्होंने प्रजातंत्र को रोका, जो लोग जनता की भावनाओं को रोककर अवमानना कर रहे हैं, एक षड़यंत्र के तहत, पूर्व नियोजित षड़यंत्र के साथ जो यह दिखाना चाहते हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। अध्यक्ष पर गुण्डागर्दी का आरोप लगाकर अवमानना की जा रही है। इस विषय पर आपका निर्णय जैसा कि हमारे भाई श्री रणजीत सिंह रावत जी ने कहा, एक नजीर साबित होगा। आप सख्त से सख्त निर्णय दें। माननीय अध्यक्ष जी यह एक गम्भीर मामला है। विपक्ष के सदस्य जो 13 तारीख को सदन की लॉबी में बैठे थे। उन्होंने हमारे पैर पकड़े और हमें सदन के अन्दर आने से रोका। एक माननीय मंत्री जी को गिरा दिया। माननीय अध्यक्ष को अन्दर आने से रोका गया। हमारे माननीय सदस्यों से अपमानजनक शब्द कहे। मान्यवर, यह बहुत शर्मनाक घटना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस सदन की अवमानना के लिए कोई ऐसा समझौता नहीं किया जाना चाहिए जिससे इस प्रदेश की जनता को पीड़ा हो। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस अवमानना के प्रश्न पर निर्णय अवश्य देंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, आपके द्वारा हमारी अवमानना की नोटिस ग्राह्य की गई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं एक सामान्य सदस्य हूँ और नया सदस्य हूँ। हम यह सोच रहे थे कि शायद विधान सभा का सदन पूरे प्रदेश की जनता की आवाज को और उसको संरक्षण प्रदान करने का सदन होता है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको चलाया जाता होगा और मान्यवर, हम इस तृतीय सत्र में देख रहे हैं और मुझे यह महसूस हो रहा है कि अभी माननीय विधायकों का एक प्रशिक्षण आपको और लगाना होगा, शायद पिछले प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई थी। यह परिस्थिति इसलिए सामने आई कि हम तीन दिन से अपना बहुमूल्य समय गवाँ रहे हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ कि सदन में जो आचरण आप कर रहे हैं, क्या उसे ही हम जैसे नए सदस्यों को सीखना चाहिए। मान्यवर, माननीय सदस्य के साथ चाहे जो भी घटित हुआ हो, उन्हें सदन में आने से रोका गया, उसको तो हम लांघ कर भी आ जाते, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि माननीय अध्यक्ष जी के साथ जो व्यवहार किया गया, वह अत्यन्त दुखदायी है। (शेम–शेम) मान्यवर, जब आपके साथ यह व्यवहार किया जा सकता है, तो हम जैसे विधायक के साथ क्या व्यवहार होगा। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इस अवमानना की नोटिस पर आप बहुत अच्छा निर्णय देंगे। आपसे आग्रह है कि कम से कम चौथे सत्र के पहले माननीय विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर अवश्य लगवा दें। विपक्ष के माननीय सदस्य बार–बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वेल में आ जाते हैं, जबकि वेल में तो सबसे अन्त में आया जाता है जबकि विपक्ष के माननीय सदस्य शुरुआत में ही वेल में आ जाते हैं। मान्यवर, 3 दिन से सदन नहीं चल पा रहा है। इस प्रदेश की जनता इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगी। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस अवमानना की नोटिस पर आप एक ऐतिहासिक निर्णय दें ताकि यह निर्णय भविष्य के लिए नजीर बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

*डॉ0 प्रताप सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विशेषाधिकार पर बोलने का अवसर प्रदान किया, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग इस सदन में नए चुनकर आए हैं, हमने सोचा था कि इस प्रदेश की पहली निर्वाचित विधान सभा में हम कुछ ऐसा करेंगे, संसदीय इतिहास की परम्परा में जो कि आगे आने वाली पीढ़ी को एक सबक होगा, लोग याद रखेंगे कि उत्तरांचल की पहली निर्वाचित विधान सभा में संसदीय परम्पराओं को किस तरह निभाया गया था, वह प्रदेश ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में एक अतुलनीय उदाहरण बनेगा, परन्तु जैसा हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने विगत 3 दिनों में जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे हमारी सभी आकांक्षाओं पर तुषारापात हो गया। मान्यवर, 13 तारीख को हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने मुझे विधान सभा के सदन के अन्दर आने से रोका और कहा कि आप अन्दर नहीं जा सकते हैं और किसी रास्ते से जाइए। तो मान्यवर, मुझे मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा और मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित हो गया।

मान्यवर, प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके आन्दोलन करने वालों पर सरकार ने लाठी चार्ज करवाया है तो मान्यवर, जो इनके नेता थे, जिनके नेतृत्व में यह लोग आ रहे थे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित क्यों नहीं किया। मान्यवर, जब यहाँ पर सदन स्थगित हुआ था तो मैं लंच करने के लिए बाहर गया था तो मैंने देखा कि रिस्पना पुल से आगे जाने पर एल0आई0सी0 का जो कार्यालय है, वहाँ से एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता झोलों में भरकर पत्थर ले जा रहे थे और पुलिस वालों पर फेंक रहे थे। मान्यवर, इस तरह से राजनीति नहीं की जा सकती है। हिंसा के बल पर कहीं भी राजनीति सफल नहीं हो सकती है। मान्यवर, इन्होंने चाहे उत्तर प्रदेश में किया हो या गुजरात में किया हो परन्तु इस नवोदित राज्य, शान्तिपूर्ण उत्तरांचल राज्य में यह नहीं हो सकता, मान्यवर, इस तरह की राजनीति को यहाँ पर रोका जाना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं को रोका गया। तो मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सदन के अन्दर आने से माननीय सदस्यों को किसने रोका? माननीय मंत्रियों को किसने रोका? माननीय अध्यक्ष जी को किसने रोका? मान्यवर, इस तरह का व्यवहार जो हमारे विपक्ष के मित्रों ने किया है, वह निन्दनीय है जैसा कि मेरे पूर्व भी हमारे सदस्यों ने कहा है कि आपकी तरफ से ऐसी कोई नजीर आए, नजीर ही नहीं आपकी तरफ से कोई ऐसा ठोस निर्णय आना चाहिए, मान्यवर, इससे हमारा समय व्यर्थ हुआ है, हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनके प्रश्न लगे थे, उन पर चर्चा नहीं हो पाई मान्यवर, हम तो नए–नए सदस्य हैं, हम तो यह देखना चाहते थे कि कैसे प्रश्न उपस्थित किया जाता, है कैसे उसका उत्तर आता है, हम यह समझना चाहते थे, मगर विपक्ष के सदस्यों ने यह सब होने ही नहीं दिया। इन्होंने बजट सत्र के दौरान भी एक–दो दिन इसी तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवधान किया था। इस पर मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से, अध्यक्ष पीठ से, एक ऐसा ठोस निर्णय आए जिससे भविष्य में इस तरह का व्यवहार कोई न करे, आपका निर्णय एक नजीर बने, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

*श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अवमानना के नोटिस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जो यहाँ पर 3–4 दिन से घटित हो रहा है, उससे आप भी अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ और सारा सदन अवगत है, अभी मेरे मित्र श्री जोत सिंह जी कह रहे थे कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और चलाया जाए। मान्यवर, जब हम निर्वाचित होकर आए थे तो एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

मान्यवर, प्रशिक्षण शिविर में हमने जो कुछ सीखा, अब जब उसको कार्य रूप देने का समय आया तो सब कुछ उसके विपरीत दिखा। पिछले 3–4 दिनों की कार्यवाही देखने पर यही निष्कर्ष निकला कि अगर अपनी बात यहाँ पर कहनी है तो उसका केवल एक ही तरीका है, ''वेल'' पर आ जाओ। मान्यवर, मेरी बात को अन्यथा न लिया जाय, मैं किन्हीं और अर्थों में इस बात को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपको मार्ग–दर्शन देने की धृष्टता नहीं कर रहा लेकिन कोई उँगली पकड़कर गर्दन पकड़ने की कोशिश करे, यह ठीक नहीं है। हमें बताया गया था कि 311 में एक ही विषय होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे माननीय साथी 3–3, 4–4 विषयों पर बोल रहे थे। 6–6, 7–7 माननीय सदस्य एक ही मुद्दे पर बोलते रहे, हमने शान्तिपूर्वक उसको सुना, हम भी यह चाहते थे कि सच सामने आना चाहिए। मान्यवर, बड़ी मुश्किल से उत्तरांचल की गाड़ी पटरी पर आई है, उत्तरांचल विकास की ओर जा रहा है, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, एक सोची–समझी रणनीति के तहत सदन की कार्यवाही को बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि श्री हरबंस कपूर और श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को रिस्पना पुल के पास विधान सभा आने से रोका गया, यह गम्भीर मामला बनता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय सदस्यों और माननीय अध्यक्ष जी को सभा मण्डप में आने से रोका गया तो वह क्या था। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप सरकार को भी निर्देशित करने की कृपा करें कि विधायकों को सदन में उपस्थित होने की पूरी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। पिछले सत्र में जब मैं और माननीय काशी सिंह ऐरी जी विधान सभा आ रहे थे तो होटल द्रोण में शिक्षा बन्धुओं और शिक्षा मित्रों द्वारा हमारा घेराव किया गया। इस तरह की परिपाटी आगे भी चल सकती है, हमें यहाँ आने से रोकने की कोशिश किसी के भी द्वारा की जा सकती है। मैं यह अपेक्षा करूँगा कि विधायकों को सभा मण्डप तक आने की जिम्मेदारी सरकार लेगी तथा मैं आपसे भी यह अपेक्षा करूँगा कि आपके द्वारा ऐसा कोई निर्देश दिया जाएगा जिससे फिर कोई 4–6 लोग हमें सभा मण्डप में आने से न रोक सकें। हमने जो कुछ भी प्रशिक्षण शिविर के दौरान सीखा और हमें नियमों की जो पुस्तिका दी गई है, उसके आधार पर सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आप द्वारा कड़े से कड़े कदम उठाए जायेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मान्यवर, हम अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों तथा समस्याओं को यहाँ पर नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठा पा रहे हैं, इस प्रकार हम अपना कीमती समय यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि आपके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे इस सदन की कार्यवाही को शान्तिपूर्वक चलाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवमानना नोटिस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक तीन दिन के अधिवेशन का प्रश्न है, जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है, उसकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, यह स्पष्ट हो रहा है, जब वह सदन में आते हैं तो कहते हैं अध्यक्ष जी हमें संरक्षण चाहिए और बाहर कुछ और कहते हैं। जहाँ तक सदन की अवमानना का प्रश्न है, सारे विधायकगण रास्ते में लेट गए, जब अध्यक्ष जी सदन के लिए आ रहे थे तो उन्हें रोका गया, बाद में मार्शल की सहायता से अध्यक्ष जी अन्दर आए। इस तरह से इन्होंने प्रजातंत्र को नुकसान पहुँचाया है। मान्यवर, जनतंत्र के अन्दर विरोधी पक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन वह प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ सदन में विवाद करके सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया, बार–बार "वैल" में पहुँचकर सदन के कार्य को बाधित किया गया, यह सदन की अवमानना है। निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से संदेश जाएगा कि विपक्ष ने विकास के कार्यों में बाधा डाली है, सरकार ने अपना काम किया है, सरकार विकास का कार्य करती है, वह करेगी, विपक्ष का यह संदेश पूरे देश में जायेगा। हम चाहते हैं कि इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय होना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा न हो। सदन चर्चा के लिए बनाया गया है, सरकार की कार्यप्रणाली है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। जहाँ तक अवमानना का प्रश्न है, उसमें नोटिस दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो ताकि जो सरकार का रचनात्मक संदेश है, वह जन–जन तक पहुँच सके। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की प्रणाली चला रहे हैं "काम न धाम करो हंगाम" इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, 13 तारीख की घटना पर मैं बहुत ही व्यथित हृदय से सदन में बोलने के लिए खड़ा हूँ।

मान्यवर, इस देश में लोकशाही की जो परम्परा है, जो जड़ है, उसकी आधारशिला रखने के लिए, उसकी आधारशिला रखने वाले माननीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने माननीय अध्यक्ष के बारे में जो कहा है उसको मैं कोट करना चाहता हूँ :–

"दि स्पीकर रिप्रेजेन्ट्स द हाउस, ही रिप्रेजेन्ट्स दि डिग्निटी ऑफ दि हाउस एण्ड दि फ्रीडम ऑफ दि हाउस बिकॉज दि हाउस रिप्रेजेन्ट्स दि नेशन, इन ए पार्टिक्युलर वे दि स्पीकर बिकम्स दि सिम्बल ऑफ दि नेशन्स फ्रीडम एण्ड लिबर्टी।"

अध्यक्ष जो सदन की आधारशिला है, देश की प्रदेश की इज्जत है, यदि हम उसे ही सदन के अन्दर आने से रोकेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा। यह प्रदेश कैसे चलेगा, यह

बहुत ही गम्भीर मामला है। उस दिन आपके सामने सभी बातें हुईं, सदन के अन्दर जो भी कहा जाता है, वह निश्चित रूप से सत्य माना जाता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि हम अध्यक्ष जी को प्रवेश नहीं करने देंगे। आपके सम्मान के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया है, उस द्वार से आने नहीं दिया गया। आपको दूसरे द्वार से आना पड़ा। (शेम–शेम की ध्वनि आई) हम लोग क्या कहें, जिनसे हम सभी लोग संरक्षण चाहते हैं, यदि वे ही अपमानित होंगे तो हम लोगों को कौन संरक्षण देगा। आपका आसन सर्वोच्च है, नेता सदन के ऊपर आपका आसन है। जब आप अपने प्रवेश की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो हमारी क्या रक्षा होगी। इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अध्यक्ष जी अपने नियत प्रवेश द्वार से सदन में नहीं जा सके, जो प्रतिपक्ष के लिए प्रवेश द्वार है, उससे वे सदन के अंदर गए। कितनी निन्दा की बात है। यह जो नया प्रदेश हमें इतनी कुर्बानी के बाद मिला है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हों, यह बड़े ही शर्म की बात है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी, हेमवती नन्दन बहुगुणा जी से लेकर नेता सदन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने संसद में तथा विधान सभाओं में सदन की गरिमा बढ़ाने का काम किया है, वहीं इस प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो यह बड़ा विचारणीय विषय है। मान्यवर, जब आप सदन में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने आपको नियत द्वार से प्रवेश नहीं करने दिया, उनमें इतनी भी शालीनता नहीं है कि वे उठ करके आसन का, पीठ का सम्मान करें। अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा तो इस प्रदेश की रक्षा तथा इस प्रदेश की जनता की रक्षा नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस सदन का नया–नया सदस्य हूँ। हृदय से दुखी हूँ, व्यथित हूँ। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम किस तरह के लोगों के साथ सदन में बैठ रहे हैं जो इस तरह का अमर्यादित आचरण कर रहे हैं।

मान्यवर, आपने मेरे मित्र प्रदीप टम्टा की सूचना को नियम 63 में सुना। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो हमारा व्यथित हृदय है, उस पर थोड़ा मलहम लगाने का कष्ट करना चाहें।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, पिछले तीन दिनों के घटनाक्रम पर माननीय सदस्यों ने जो अपनी हृदय की वेदना व्यक्त की है, मैं उन सब बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, पिछले तीन दिनों में हमने यहां पर जो घटनाक्रम देखा, आपने जिस विनम्र स्वभाव का परिचय दिया, सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का हरसंभव प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत–बहुत बधाई। मान्यवर, संविधान द्वारा आपको लोकतंत्र की परम्पराओं की रक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं और संविधान के बुनियादी ढांचे के रक्षक के रूप में भी आप यहां पर विराजमान हैं। लोकतंत्र का मूल आधार है, हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहें। मान्यवर, सत्तापक्ष का दायित्व है, विपक्ष की बात को सुने, लेकिन विपक्ष का भी यह दायित्व है कि वह सत्तापक्ष की बात को ध्यान से सुने। विपक्ष को "वेल" में आने का अधिकार है, मान्यवर, "वेल" की शुरूआत ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट से हुई। ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट को हमने बर्बरता से सभ्यता की ओर लोकतंत्र को बढ़ते हुए देखा। मान्यवर, आज भी ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहां परम्पराएं ही निर्वहन की जाती हैं, इन परम्पराओं में ही "वेल" का एक इतिहास है। मान्यवर, परम्परा के रूप में आप जिस

दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उसे ब्लैक डोर कहते हैं। मान्यवर, सत्तापक्ष जो वहां के राजाओं के अधीन होता था, ने जब विपक्ष के लोगों का कत्लेआम किया, इसी फलस्वरूप प्रतीकात्मक रूप में, सबक के रूप में, यह दरवाजा है। चाहे भारतीय संसद का अध्यक्ष हो या विधान सभाओं के अध्यक्ष हों, सभी विशेष दरवाजे से सदन के अंदर प्रवेश करते हैं। मान्यवर, यह दरवाजा बर्बरता से सभ्यता की ओर ले जाने वाला मील का पत्थर है।

मान्यवर, इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से और उन तमाम व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हमारे माननीय विधायकों को चर्चा करने का अधिकार है और माननीय अध्यक्ष उसके संरक्षक भी हैं। मान्यवर, इस सदन को चलाने में बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, शक्ति खर्च होती है और जिस समय यह सत्र चलता है, उस समय होने वाले खर्च, शक्ति, मेहनत को पूरा प्रदेश देखता है। मान्यवर, यह उत्तराखण्ड की चयनित हुई प्रथम विधान सभा है और उत्तराखण्ड राज्य की नींव रखने का कार्य हो रहा है, जो परम्पराएं कायम होंगी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। मान्यवर, जब आप सदन में बैठे होते हैं तो सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, सदन के अन्दर ही नहीं, सदन के बाहर भी लोगों की बातों को धैर्य से सुनते हैं। पर मान्यवर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने भारतवर्ष को श्री जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्री राजीव गाँधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री दिये हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को परवान चढ़ाया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य ने लगातार सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है और उस उत्तराखण्ड की विधान सभा में अमर्यादित आचरण होता है तो हम क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं। मान्यवर, नारेबाजी में कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी तो मान्यवर, ये हम लोगों के ऊपर गुण्डागर्दी का आरोप लगाना चाहते हैं। मान्यवर, सदन कैसे चलेगा, इसका अधिकार आपको है। माननीय अध्यक्ष के रूप में आप राज्य सरकार के भाग नहीं हैं, आप राज्य सरकार से इतर हैं, जिसकी संविधान के अनुच्छेद 178 में व्यवस्था की गई है। विधान सभा अध्यक्ष के रूप में आपकी शक्ति को निहित करता है। मान्यवर, विधान सभा अध्यक्ष को माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन दोनों मिलकर आसन पर आसीन कराते हैं। मान्यवर, संविधान की व्यवस्था के अनुसार आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, आप किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं।

मान्यवर, आपके कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम बनाए गए हैं और यदि आप कहीं किसी चीज से बाधित होते हैं, किसी चीज का अनुकरण करते हैं तो मान्यवर, वह यह नियमावली है जिसे हम "उ०प्र० विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली" कहते हैं। मान्यवर, यह बात लगातार उठती रही कि हम लोग 311 में चर्चा चाहते हैं, निश्चित रूप से आज इस प्रदेश की जनता में यह बात गयी होगी कि नियम 311 कोई चीज है, जिसके अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए और चर्चा नहीं हुई, क्योंकि चर्चा कभी लाठीचार्ज, कभी भ्रष्टाचार तो कभी महिलाओं पर अत्याचार से जोड़ दी गई। तो मान्यवर, यह आवश्यक है कि आपके माध्यम से नियम 311 की जानकारी जाए। नियम 311 कहता है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से ही अधिकार प्राप्त कर सकता है, जब तक माननीय अध्यक्ष सम्मति नहीं देते तब तक तो इसका अधिकार किसी भी माननीय सदस्य को है ही नहीं और मान्यवर, नियम 314 स्पष्ट रूप में कहता है कि माननीय अध्यक्ष के विनिश्चय में आपत्ति नहीं की जाएगी। मान्यवर, जो उन्होंने कहा, उसकी ग्राह्यता पर आपने सुना, लाठीचार्ज पर आपने सुना और उसकी

जानकारी माननीय सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दी। मान्यवर, जहाँ नियम 311 का प्रश्न है, वहीं इस नियमावली में हमारे द्वारा किए जाने वाले आचरण पर भी चर्चा की गई है, सदस्यों को भी कुछ चीजों के ऊपर, किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था इस नियमावली के 286वें अंक के आधार पर की गई है। मान्यवर, नियम 286 का अंक 9 कहता है कि हम सदन की कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे। मान्यवर, नियम 286 कहता है कि सदन में आने, बाहर जाने और सदन के दूसरे सदस्यों को सम्बोधित करने एवं तमाम चीजों पर हम किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न उठायेंगे, इसकी व्यवस्था इस नियमावली के अंग हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं है, हमारे विपक्षी दल के सदस्यों को संविधान के अन्दर एक विशेषाधिकार के रूप में संरक्षित भी किया गया है। मान्यवर, यदि उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो किसी गम्भीर प्रकरण को उठाती है और उनके पास इसके पुख्ता साक्ष्य हैं तो वे इस प्रकरण को उठा सकते हैं, किन्तु जैसे उन्होंने समाचार–पत्र से एकत्रित जानकारी के माध्यम से भ्रष्टाचार का प्रकरण उठाया, यदि उनके पास कोई गोपनीय जानकारी या तथ्य होते तो उनके पास इसका विशेषाधिकार होता कि वे इसे सदन में उठाते। परन्तु उन्होंने अपने इस विशेषाधिकार का कोई प्रयोग नहीं किया, न तो सदन के सामने और न ही आपके सामने। इसलिए मान्यवर, इस सदन में उन्होंने जो लगातार 311 पर चर्चा कराने के लिए तानाशाही के आरोप लगाए, वे सत्ता पक्ष पर नहीं लगाए, आपकी सम्मानित पीठ की ओर लगाए हैं। मान्यवर, उन्होंने जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है, निश्चित रूप से वह अवमानना का प्रश्न बनता है।

मान्यवर, हमारे लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में भी व्यवस्थाएं दी जाती रहीं। जिससे संसद और विधान सभाओं की कार्यवाही लगातार चलती है। ये पुस्तिकाएं हमारा मार्ग दर्शन करती हैं और इसी पुस्तिका में कौल एण्ड शकधर की किताब में पृष्ठ सं0 114 पर जहाँ पॉवर एण्ड फंक्शन्स की बात कही गई है, उसमें लिखा गया है– "वेनएवर द स्पीकर राइजेज टू स्पीक, ही इज हर्ड इन साइलेंस एण्ड एनी मेम्बरस हू इज देन स्पीकिंग ऑर ऑफरिंग टू स्पीक इज रिकवायर्ड टू रिज्यूम हिज सीट"। कहने का मतलब यह है यदि जब कभी माननीय अध्यक्ष खड़े होकर अपनी बात कहें तो उन्हें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति उस समय बोल रहा हो तो उसे अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। परन्तु यहाँ पर विपक्ष ने जो परिचय दिया, वह केवल इस बात का द्योतक है कि उन्होंने केवल आपकी अवमानना का ही परिचय दिया। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ 117 में लिखा है "द स्पीकर ऑलसो डिसाइड ऑन द एडमिसीबिलिटी ऑफ रेजूलेशन एण्ड मोशंस। ही हैज ए जनरल डिस्क्रिशन इन रिगार्ड टू द एडमिसीबिलिटी ऑफ रेजूलेशंस एण्ड मोशंस, सिमिलियर टू द वन रिलेटिंग टू द एडमिसीबिलिटी **ऑफ क्वेश्चन। ही** डिसाइड वेदर एक मोशन एक्सप्रेसिंग वाण्ट ऑफ कॉनफिडेन्स इन **द काउन्सिल ऑफ** मिनिस्टर इज इन आर्डर"। मान्यवर, यहाँ तक कौंसिल और मिनिस्टर्स के बारे में भी आपको निर्णय लेने का अधिकार है। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 119 में कहा गया है–"द स्पीकर डिटरमाइन्स वेदर देयर इज ए प्राइमाफेसाइ केस फॉर ए मैटर रिलेटिंग टू ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑर कन्टेम्पट ऑफ हाउस"। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष को मार्गदर्शन में ही किसी मामले को विशेषाधिकार हनन या अवमानना के बारे में भी निर्धारित किया जाने का अधिकार है। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 121 में कहा गया है

"मेन्टीनेन्श ऑफ आर्डर इन द हाउस इज ए फण्डामेण्टल ड्यूटी ऑफ द स्पीकर। ही डिराइव्स हिज डिसीपिलनरी पॉवर्स फ्राम द रूल्स"। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष को सदन को व्यवस्थित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। मान्यवर, किसी भी चीज का स्वयं संज्ञान लेकर उसके ऊपर दण्ड देने की व्यवस्था आप कर सकते हैं।

मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ 231 में लिखा है– "द राइट ऑफ द हाउस टू पनिश इट्स मेम्बर्स फॉर देयर कण्डक्ट इन पार्लियामेण्ट"। मान्यवर, मैंने जैसा पूर्व में कहा कि सदन इसका संज्ञान ले सकता है, किसी भी सदस्य के सदन में किये गए गलत आचरण पर। इसीलिए संविधान में व्यवस्था की गई कि माननीय सदस्य अपना आचरण मर्यादित रखें। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ 230 पर लिखा है– "राइट ऑफ ईच हाउस टू बी द सोल जज ऑफ द लॉफुलनेस ऑफ इट्स ओन प्रोसेडिंग"। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के लिए स्वयं जज के रूप में कार्य कर सकता है। मान्यवर, यह एक गंभीर प्रश्न है। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 287 में लिखा है– "ऑफट्रेक्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस"। मान्यवर, यदि सदन के सर्वोच्च वरिष्ठतम व्यक्ति को सदन में आने से रोक दिया जाए या उसे दूसरे रास्ते से सदन में आने दिया जाए। मान्यवर, यह भी निश्चित रूप से अवमानना का गम्भीर प्रश्न बनता है। मान्यवर, नियम 65 और नियम 66 के तहत हमारी यह सूचना सम्पूर्ण अर्हता को रखती है। इसमें दण्ड दिये जाने का भी प्राविधान है। नियम 65 के (ग) में ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। नियमावली के नियम 73 में ऐसे मामलों पर छः प्रकार के दण्ड दिए जा सकते हैं। जिसमें भर्त्सना और निन्दा भी एक दण्ड है। इसलिए मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भर्त्सना और निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर, 6 प्रकार के दण्ड का प्राविधान इस धारा में दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें अनुमति प्रदान करें और हम आपकी ओर से यह प्रस्ताव करते हैं कि धारा 71(1) के प्रथम खण्ड के अन्तर्गत आप हमें यह अनुज्ञा प्रदान करें कि हम इस घटना पर एक निन्दा प्रस्ताव पेश कर सकें। मान्यवर, यह प्रकरण नजीर बनेगा। इससे आगे के सत्रों की कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी। मेरा इस सदन से निवेदन है कि वह इस अवमानना का संज्ञान लें और इसके बाद एक नजीर कायम करें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। धन्यवाद।

*सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया जो माननीय रणजीत सिंह रावत और माननीय प्रदीप टम्टा जी द्वारा उठाया गया है। मान्यवर, यह देश जिसकी एक परम्परा है, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है। इस देश में जब फिरंगियों का राज था तो देश को आजाद कराने के लिए सभी जाति, धर्मों के लोगों ने इस देश में आजादी के परवानों के रूप में इस देश की रक्षा की थी और इसके बाद जब पहले–पहल इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश के विकास की नींव रखी जायेगी। इस देश के विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ और विभिन्न राज्यों में ये परम्पराएं डाली गयीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि विभिन्न क्षेत्रों का परिसीमन करके उसमें लोग चुनकर आयें और यह आशा की जाती है कि जिस व्यक्ति को लोग चुनते हैं, वह व्यक्ति इस देश की परम्पराओं का ध्यान रखे। मान्यवर, यह ध्रुव सत्य है कि जिस व्यक्ति को लोग चुनते हैं, वह वहाँ की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उस क्षेत्र के विकास की बात सदन में रखे और सदन मर्यादित होकर उस माननीय सदस्य की बात सुने और आप जो हम सब के रक्षक हैं, वह इस पर निर्णय दें। मान्यवर, पिछले चार दिनों से जो तांडव नृत्य यहाँ पर हो रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी का वह इतिहास है। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो देश में आज उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वह व्यक्ति मुखबिरों के रूप में इस देश में कार्य कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कथनी और करनी में अन्तर है, जब से देश में इनकी सरकार बनी है तब से देश में धर्मनिरपेक्षता का वातावरण खराब हुआ है, भाई–चारे का वातावरण खराब हुआ है और देश के अंदर जो लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वे इस बात से पीड़ित हैं कि आज जो लोग देश के सर्वोच्च पदों पर विराजमान हैं, वे दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। पहले किसी क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि जो बोलता था, उसे शासनादेश माना जाता था। जबकि आज देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति सुबह कोई बात कहते हैं और शाम को दूसरी बात कहते हैं। तो मान्यवर, देश की जनता किस पर विश्वास करे।

मान्यवर, जो विगत 3–4 दिन से प्रकरण चल रहा है और जो पिछली 13 दिसम्बर को जो घटित हुआ, वह एक मात्र स्वांग था मान्यवर, एक माननीय विधायक पट्टी बाँधे आये थे तो मानवता के आधार पर कि उन्हें कितनी चोट आयी है, यह देखने के लिए पट्टी खुलवाई जा रही थी जो कि एक डाक्टर ही खोल रहा था तो उसी पर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया मान्यवर, इससे यही साबित होता है कि वह चोट नकली थी, अगर असली थी तो माननीय सदस्य उसे क्यों नहीं दिखा रहे थे तो मान्यवर, यह माननीय सदस्यों और आपको सदन के अन्दर आने से रोकने के लिए एक सुनियोजित षडयंत्र था। इन लोगों को अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए। मान्यवर, जो प्रश्न यहां पर माननीय सदस्यों ने लगाये थे, उनका उत्तर मंत्रीगणों को देने से रोका गया, प्रश्नों का उत्तर देना मंत्रीगणों का कर्तव्य था परन्तु मान्यवर, इन लोगों ने यह नहीं होने दिया जो कि सदन की अवमानना है मान्यवर, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना था कि उनके शासन काल में जो–जो अनियमिततायें हुई हैं, राज्य गठन से लेकर अब तक का हिसाब उनसे मांगना था। इसलिए अपने काले कारनामों दबाने के लिए उन्होंने यह स्वांग रचा, यह संसदीय परम्पराओं पर कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है। मान्यवर, एकता, अखंडता और संवैधानिक मर्यादाओं का, जिनका निर्माण हमारे संविधान विशेषज्ञों ने किया था, उनको जिन्दा रखने के लिए एक कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपकी तरफ से, अध्यक्ष पीठ से संविधान के, लोकतंत्र के सम्मान को बचाने के लिए कोई एक ठोस निर्णय निकलेगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक साबित होगा और भविष्य में इस तरह से संसदीय परम्पराओं और लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का साहस कोई नहीं जुटा पायेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवमानना के नोटिस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 3–4 दिन से विधान सभा के अन्दर

प्रतिपक्ष के माध्यम से जो कार्यवाही की जा रही है, उसका मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से इस प्रदेश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और नियमों की अवहेलना की जा रही है, वह ठीक नहीं है, आने वाले भविष्य में जो नये लोग यहां पर चुनकर आयेंगे, उन्हें हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है।

मान्यवर, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, वहाँ पर भी बोलने का मौका मिला है तो मान्यवर, आज अगर हम तुलना करते हैं तो इस नवसृजित राज्य में विपक्ष की भूमिका को देखें तो उन्होंने जनता की समस्या के समाधान को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इस बात का ध्यान रखा कि उनकी राजनीति कैसे चले।

मान्यवर, आज विपक्ष में बैठने के बावजूद इनको इस बात का होश नहीं है कि किसी प्रश्न को जहां से उठाया जाता है और जहां उसका उत्तर बनता है, उसके विषय में जानकारी हासिल की जाती है, उस सबमें सरकार का कितना समय और पैसा खर्च होता है। एक मखौल के तौर पर बार–बार "वेल" में आकर एक ही बात को 3–4 दिन से दोहराया जा रहा है। मान्यवर, यहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई कठोर कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है। मान्यवर, प्रतिपक्ष ने रैली के दौरान लाठीचार्ज की बात यहां पर उठायी। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार इनकी सरकार के समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में हम लोगों ने भी यहां पर एक रैली निकाली थी, किन्तु हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमें पहले से ही यह निर्देश दे दिए गये थे कि कोई भी कार्यकर्ता पत्थर नहीं उठाएगा, कोई हो–हल्ला नहीं होगा, बिल्कुल पिन ड्राप साइलेंट, हम लोगों ने आन्दोलन किया था। 13 तारीख के लिए विपक्ष ने पूर्व नियोजित रणनीति के तहत पुलिस पर पथराव किया। मान्यवर, इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को यहाँ पर उठाया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार तो इनके द्वारा विधान सभा निर्माण के दौरान किया गया है, जिसका पर्दाफाश यहां पर किया जाएगा। मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के सर्वोच्च मुख्यमंत्रियों में एक माने गए हैं। आज अस्वस्थता के कारण वह दिल्ली में हैं। इसका फायदा उठाते हुए विपक्ष ने यहां पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का कार्य किया है। अगर तत्काल इस परम्परा को रोका नहीं गया तो यहां पर अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। यह उँगली पकड़ कर गर्दन पकड़ने का काम कर रहे हैं। यह फासिस्टवादी लोग हैं। मान्यवर, आपको सदन में आने से रोका जा रहा है। यह इस प्रदेश को चलाना नहीं चाहते हैं। सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगण पूरी तैयारी के साथ इनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य 311 की उलाहना देकर बार–बार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और आपको बार–बार सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं श्री प्रदीप टम्टा और श्री रणजीत सिंह रावत जी द्वारा लायी गयी अवमानना नोटिस का समर्थन करते हुए अपने साथियों की भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश]–

मान्यवर, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हमारे माननीय साथियों ने अवमानना तथा विशेषाधिकार की इस नोटिस पर चर्चा के दौरान सभी नियमों का उल्लेख कर दिया

है। मेरा अनुरोध है कि सदन की अवमानना और विशेषाधिकार की इस नोटिस पर आप कोई गंभीर निर्णय लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप टम्टा तथा श्री रणजीत सिंह रावत की अवमानना नोटिस पर माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् इस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख रहा हूँ।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु सड़क निर्माण के लिए एक–एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की घोषणा

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैंने सभी सम्मानित 70 सदस्यों से लोकनिर्माण मंत्री के रूप में यह वायदा किया था कि हर विधान सभा क्षेत्र को एक करोड़ रुपये सड़क निर्माण हेतु, उनके द्वारा दिये प्रस्ताव के अनुसार मान्यता दी जायेगी। इसके लिए मैंने 15 दिसम्बर तक की तिथि दी थी, यह कार्य 15 दिसम्बर को हो गया था। एक करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा के सम्मानित विधायक द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये हैं, उनके आधार पर यह राजाज्ञा शासन के द्वारा आज निर्गत हो गई है, मैं परसों विभागीय अधिकारियों से मिली थी। (मेजों की थपथपाहट) मैं विभागीय अधिकारियों को कल प्रातः 11.00 बजे बुला रही हूँ, हमारे सम्मानित मंत्रीगण और जो भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, वह अतिशीघ्र उनके टेण्डर काल करें ताकि विकास कार्य हो सके, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार विकास की दौड़ में हम आगे बढ़ सकें। जिला योजना के सम्बन्ध में 2001–2002 तथा 2002–2003 के आंकड़े माँगे जायेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायेंगे। हमने अधिकारियों से यह कहा कि जो अधिकारी श्रेष्ठता, ईमानदारी की दृष्टि से, परिश्रम की दृष्टि से और कार्यक्षमता की दृष्टि से श्रेष्ठ पाया जायेगा, उन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में उच्च सम्मान दिया जायेगा, ताकि वे विकास का संदेश देने में समृद्ध हो सकें।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री बलबीर सिंह नेगी जी को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के लिए अवसर दिया।

10 अगस्त, 2002 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार क्षेत्र में एक दर्जन से भी अधिक स्थानों पर बादल फटने से ग्राम मरवाड़ी, मेड़, अगुण्डा, कोट, कोटी, आगर, निवालगांव, रक्षिया, तितरूणा, तोली, जखाणा, गेंवाली, भैल्डगांव, बिशन उर्णी, पिन्सवाड़, थाति, कुण्डी, सांकरी भिलंग में भयंकर तबाही और बर्बादी हुई और अपार जन–धन, पशुधन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति हुई है और

सम्पूर्ण बालगंगा, धर्मगंगा व भिलंगना घाटी में काश्तकारों की खड़ी फसल व खेतों का विनाश हुआ और सभी पनचक्कियां एवं सिंचाई नहर बहकर नष्ट हो गई जिससे पूरे क्षेत्र में भय और दु:ख का माहौल व्याप्त है। हजारों परिवारों का गुजर–बसर का कोई साधन नहीं रह गया है। यह घटना तात्कालिक और लोक महत्व की है तथा अविलम्बनीय है। इस विषय पर कार्य स्थगन कर इस पर चर्चा कराई जानी लोक हित में आवश्यक है। श्रीमन्, 10 अगस्त, 2002 को मेघ फटने से दर्जनों गांवों में तबाही और बर्बादी हुई है, केवल तबाही और बर्बादी ही नहीं हुई है बल्कि बूढ़ाकेदार क्षेत्र के करीब 28 लोगों की मौत भी हुई है और सैकड़ों की संख्या में पशुओं की हानि हुई तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्ति का विनाश हुआ है। आज वहाँ हालत यह है कि जो सिंचाई नहरें हैं, जिनकी संख्या लगभग 52 है, वे सभी क्षतिग्रस्त हो गई (बासर नहर, कोट–विशन नहर, खवाड़ा नहर, दुरागी नहर, गोफल नहर, डडोली नहर, पुण्डारा नहर, सिवाड़ी नहर, आगरकोटी नहर, अमुण्डा नहर, डॉखर नहर, मिगुन नहर, मैल्डगांव नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, भड़कोट नहर, उखन्द्रा नहर, चानी नहर, निवाल गांव नहर, लुवा नहर, चरी नहर, पोखार नहर, डांग मद्री नहर, कण्डारस्यू नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, ब्याती नहर, जखाली नहर, कोठियाड़ा नहर, केमरिया सौड़ नहर, सुरांश नहर, चमियाला नहर, सिल्यारा नहर, बामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, बहेड़ी नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, मटगांव नहर, छतियारा नहर, घटवाड़ा नहर, श्रीकोट नहर, केवला नहर, चकचौंड नहर, गुजल नहर, केवड़ा नहर, वानी नहर, निवाल नहर, तथा केपड़ा नहर, सुरसा नहर आदि) नहरों के क्षतिग्रस्त होने से किसानों के परिवारों के भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन नहरों की मरम्मत का काम तथा उनके जीर्णोद्धार का काम सरकार गम्भीरता के साथ नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में बाल गंगा घाटी के जो किसान हैं, वे बहुत ही दुखी और पीड़ा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर उनके खेतों में नहरों के द्वारा पानी सिंचाई के लिए नहीं जाएगा तो उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा, उनकी आमदनी घटेगी, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचेगा जो बड़ी ही दुखद घटना होगी। किसानों की आमदनी घटने का असर पूरे राष्ट्र पर तथा सबसे पहले इस प्रदेश में पड़ेगा। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी। मान्यवर, वर्तमान सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है।

मान्यवर, आज किसानों के सामने पानी का संकट, सिंचाई का संकट, पैदा हो गया है। मान्यवर, जब मैंने इस सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन मंत्री जी से वार्ता की तो वार्ता के उपरान्त माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपदा प्रबन्धन मंत्रालय इसमें कोई राहत नहीं दे पायेगा। मान्यवर, इसी सिलसिले में मैंने जब माननीय सिंचाई मंत्री जी से वार्ता की तो उन्होंने भी अवगत कराया कि सिंचाई मंत्रालय नहरों की मरम्मत करने को तैयार नहीं है। मान्यवर, ऐसे में कैसे काम चलेगा, किसानों की पीड़ा, किसानों के दु:ख दर्द का निवारण, कैसे होगा। इसी सिलसिले में मान्यवर, नियम 56 की ग्राह्यता के सवाल पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इसे नियम 56 के अन्तर्गत सुनने के उपरान्त कार्यस्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करें। मान्यवर, इतना ही नहीं, जितने मार्ग ध्वस्त हुए हैं, राहत सामग्री ले जाने के लिए जो व्यवस्था आपदा प्रबन्धन मंत्रालय द्वारा हुई है, चाहे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हो, वन विभाग आदि हो, अभी तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, यह हालत आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की है। मान्यवर, यह लोकप्रिय सरकार भी किसानों के प्रति गम्भीर नहीं है। मैं चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र के किसानों के

सामने अन्न का संकट पैदा न हो, इसके प्रति सरकार गम्भीरता से प्रयास करे। मान्यवर, जितनी भी सिचाई विभाग की नहरों के आंगणन हैं, वे सचिवालय में लम्बित पड़े हुए हैं, यह गम्भीर दुःख का विषय है। मान्यवर, एक कहावत चरितार्थ है :–

"तीन रास्ते चलने वाले लोग थे, उसमें एक अंधा था, अंधा चला एक कदम, उसके चलने से कुछ धूल उड़ी, अंधे ने कहा आधी आयी, बहरे ने सुना तो कुछ नहीं कहा चलो भागो, नंगे ने कहा लगता है आप मुझे लुटवाना चाहोगे।"

मान्यवर, यह सरकार बहरी है, जो किसानों के कष्टों के प्रति गंभीर नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ यह सरकार नहरों के मरम्मत के जीर्णोद्धार के सवाल पर गम्भीर हो तथा युद्धस्तर पर किसानों की उन 52 नहरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम अविलम्ब प्राथमिकता के साथ करने का कष्ट करें।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का सवाल पिछले दिनों उठा और उसके इर्द–गिर्द मैं इन सवालों को रखना चाहता था। लेकिन तीन दिन तक कोई समय न मिल पाने के कारण जनता की समस्याओं के प्रति हम सदन को जागृत नहीं करा पाये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार के सवाल उठाये गये हैं, यह सवाल केवल आज ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में भी उठे थे। मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत में जो अनियमितता का काम हो रहा था, उसके विरुद्ध हमने आवाज उठाई और जिला परामर्शदात्री की रिपोर्ट हमने दी, लेकिन पूरी की पूरी पत्रावली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन में लम्बित करने का काम किया है। मान्यवर, आज उन्हीं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ की मर्यादा को भंग करने का काम किया। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार का हाल तो एक जैसा था, उनके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि गाड़ियों पर हूटर नहीं बजेंगे। लेकिन इनके मंत्रियों के ऊपर लाल बत्ती और हूटर का भूत तो काले जादू की तरह सवार था। मान्यवर, जब वह लोग विवाह में जाते थे तो हूटर बजाकर जाते थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में जाते थे तो हूटर बजाकर जाते थे, लेकिन जनता ने इनका हूटर बजा दिया लेकिन मान्यवर, वर्तमान सरकार के माननीय सदस्यों ने भी इन्हीं की तरह हत्या, लूट मचाई। तो 5 साल बाद जनता इनकी भी खबर लेगी।

मान्यवर, अगुण्डा में दैवीय आपदा आई और वहाँ पर कोटी और अगुण्डा के बीच में आने–जाने का एक गार्डर पुल था और वह पूरी तरह से टूट गया है। मान्यवर, आज तक उस पुल की स्वीकृति का काम नहीं हो पाया है। पुल की फाइल सचिवालय में लम्बित पड़ी हुई है। मान्यवर, भूकम्प में पाख का जू0 हा0 स्कूल का भवन टूट गया है, उसकी पत्रावली भी सचिवालय में लम्बित पड़ी हुई है। वह पत्रावली स्वीकृति की प्रत्याशा में है, उस पर धूल जम गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा भूकम्प के सवाल पर इस प्रदेश की घायल धरती पर मरहम पट्टी लगाने की योजना होनी चाहिए। मान्यवर, कैसे आपदा प्रबन्धन से निबटेंगे, उसके लिए कोई नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता की जिन्दगी को कैसे संवारें, इस पर हमको गम्भीर होना पड़ेगा।

मान्यवर, सरकार को गम्भीर होना पड़ेगा, तब जा करके हम पूर्ण उत्तराखण्ड के भविष्य की नींव को मजबूती के साथ में पक्की कर सकते हैं, मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल से लगातार 3 दिनों की

जद्दोजहद के बाद यहाँ पर मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। मान्यवर, अपनी नहीं, किसानों की और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं और उनके दुख–दर्दों का निवारण कैसे हो, इस सम्बन्ध में अपनी बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

आपदा प्रबन्धन एवं राजस्व मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो नियम 56 में बूढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना का उल्लेख किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को और इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह बात ठीक है कि 10 अगस्त, 2002 को बूढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने से एक अलोकप्रिय घटना घटी। ईश्वर का प्रकोप अपने प्रदेश पर लांछित हुआ, घटित हुआ। इससे मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के दर्द को, उस क्षेत्र की जनता की इस पीड़ा को जो सम्मानित सदस्य ने सदन के सामने रखा, निश्चित रूप से गम्भीरता से ले रहा हूँ, मान्यवर, केवल मैं ही इसे गम्भीरता से नहीं ले रहा हूँ। मान्यवर, जब 10 तारीख को रात में यह घटना घटित हुई तो 11 तारीख को सुबह 8.00 बजे घनसाली से किसी पत्रकार बन्धु ने मुझे टेलीफोन किया कि बूढ़ाकेदार क्षेत्र में यह सूचना मिली है कि बादल फटने से जन–हानि हुई है, उनको भी ठीक से जानकारी नहीं थी कि कितनी जन–हानि हुई है। मान्यवर, उस समय मैं जिस स्थिति में था, सुबह 8.00 बजे मैं अपने यमुना कॉलोनी के आवास से निकला, मैं घण्टाघर के पास पहुँचा था तो मेरे मोबाईल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि रावत जी सम्मानित सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी ने सूचना दी है कि बूढ़ाकेदार में बादल फटने से घटना घटी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि मैं इस घटना से अवगत हूँ और मैं घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका हूँ। मैंने मोबाईल फोन से तत्काल जिलाधिकारी, टिहरी, एस0पी0 टिहरी तथा प्रमुख सचिव को निर्देशित किया, इसके साथ ही कमिश्नर, गढ़वाल को भी यह निर्देश किए कि वे सभी लोग मेरे घटनास्थल पर पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाएँ।

मान्यवर, मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि वो मेरे पहुँचने से पहले घटनास्थल पर पहुँचें। मान्यवर, मैं 11 तारीख को 2 बजे बूढ़ाकेदार पहुँचा। तेज वर्षा हो रही थी। मान्यवर, बूढ़ाकेदार में लोगों ने बताया कि मरवाड़ी गाव में 10 लोगों की मौत हुई है। जिसमें तीन महिलाएं और सात बच्चे हैं। मैंने अधिकारियों से कहा कि हम सबसे पहले मरवाड़ी गाव जाना चाहते हैं। लोगों ने बहुत मना किया। क्योंकि दिन के 2 बजे गऐ थे। तेज वर्षा हो रही थी। रास्ता टूटा है। लोगों ने कहा कि आपका वहाँ जाना संभव नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैंने यह महसूस करते हुए कि प्रदेश का आपदा प्रबन्धन मंत्री होने के नाते अगर मौके पर नहीं पहुँचा जाएगा तो अधिकारियों / कर्मचारियों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? मान्यवर, मैंने मरवाड़ी गांव के लिए पैदल चलना शुरू किया, रास्ते में मुझे डी0आई0जी0 मिले। डी0आई0जी0 ने भी मुझे रोकने की कोशिश की कि रास्ता खराब है, आप नहीं पहुँच सकते। अगले गांव जब मैं पहुँचा तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक गांव से वापस लौट रहे थे, उन्होंने भी मुझे रोकने की कोशिश की। वहाँ के गांव वालों ने भी रोकने की कोशिश की कि रावत जी गधेरों में पानी भरा हुआ है, रास्ता बहुत खराब है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी जिद्द पर, लोगों की पीड़ा को देखते हुए, रात के 12 बजे पूरे दिन भूखे रहकर, मरवाड़ी गांव पहुँचा। जहाँ पर 7 बच्चों की लाशें और तीन

महिलाओं की लाशें रखी थीं। हम गांव के लोगों के साथ बैठे और उन लोगों से कहा कि इस दुःख में सरकार आपके साथ है। मान्यवर, ईश्वरीय शक्ति की मार से कोई नहीं बच सकता, पता नहीं कब किसके ऊपर आ जाए। इसकी कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। मान्यवर, सम्पन्नशाली प्रदेश जैसे गुजरात सम्पन्नशाली प्रदेश है, महाराष्ट्र सम्पन्नशाली प्रदेश है, वहाँ भी भूकम्प आया था। इन प्रदेशों की सरकार भी भूकम्प के समय लड़खड़ा कर गिर गयी थीं। वे भी राहत कार्य को नहीं कर पाए। मान्यवर, जब मैं वहाँ पहुँचा, अपने अधिकारियों के साथ तो वहाँ एक बच्चा जो कि छः महीने का था, उसकी आंते निकली थी फिर भी वह जिन्दा था। हमने वहाँ अपनी टीम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहली प्राथमिकता उन घायलों के उपचार में होनी चाहिए जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मान्यवर, रात के 12 बजे मरवाड़ी गांव से वापस आकर सुबह 5 बजे बूढ़ाकेदार पहुँचा।

मान्यवर, बूढ़ाकेदार पहुँचने के बाद मैंने आई0टी0बी0पी0 के अधिकारियों के साथ, कमिश्नर, गढ़वाल; जिलाधिकारी, टिहरी; पुलिस अधीक्षक, टिहरी के साथ बैठक की और उनको पांच विकल्प बताये। मान्यवर, मैंने तीन टीमें बनाईं। एक टीम का नेतृत्व मैंने स्वयं किया, दूसरी टीम का नेतृत्व कमिश्नर, गढ़वाल को दिया और तीसरी टीम का नेतृत्व जिलाधिकारी, टिहरी को दिया। हर टीम के साथ 20 आई0टी0बी0पी0 के जवान, एक डाक्टर और एक इंजीनियर था। मैंने सभी टीमों को निर्देश दिया कि हमारी पहली प्राथमिकता गम्भीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुँचाना, दूसरी प्राथमिकता आंशिक रूप से घायलों को गांव में ही उपचार मुहैया करना, तीसरी प्राथमिकता लाशों को निकालना, चौथी प्राथमिकता लाशों का दाह संस्कार करना, पांचवीं प्राथमिकता पेयजल उपलब्ध कराना, छठी प्राथमिकता खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सातवीं प्राथमिकता सड़कों को ठीक करना है। मान्यवर, मुझे पता चला कि माननीय विधायक जी नजदीक के दूसरे गांव में हैं, मैं उस गांव में गया तो पता चला कि विधायक जी अभी–अभी दूसरे गांव के लिए निकल गये हैं। यदि माननीय विधायक जी मुझे मिल जाते तो उनसे इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती। मान्यवर, जब दूसरे दिन मैं भीर गांव से आगे बढ़ा तो रास्ता बहुत ही खराब था। कई जगह तो हमें रस्से के सहारे गधेरे पार करने पड़े थे। मेरे पैर खून से सन गये थे, मेरे दो नाखून टूट गये थे। शायद कोई दूसरा व्यक्ति इन परिस्थितियों में यहां नहीं पहुँच सकता था। मैं दूसरे दिन मेढ़ गांव पहुँचा। वहां सिर्फ एक लाश ही निकाली जा सकी थी। मैंने आई0टी0बी0पी0 के जवानों से कहा कि वे लाशें निकालने में मदद करें। जब मैं मेढ़ गांव पहुंचा तो मैंने वन विभाग के कन्जरवेटर और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से कहा कि मेरे वापस लौटने पर रास्ता साफ हो जाना चाहिए। मान्यवर, 12 तारीख को रास्ते को पैदल चलने लायक बना दिया गया। जब मैं शाम को 5.00 बजे बूढ़ाकेदार पहुँचा तो कन्ट्रोल रूम में माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी बैठे हुए थे। अखबारों में भी मेरी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ फोटो छपी थी। मान्यवर, मेरा कहना है कि दैवीय आपदा के मामले में कोई भी सरकार बहुत अधिक नहीं कर सकती है। यदि दैवीय आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो कोई भी व्यक्ति उसे वापस नहीं ला सकता है। मान्यवर, हमने आँसू पोंछने का कार्य किया है क्योंकि यहां के लोगों की पीड़ा को समझना है और मैं कह सकता हूँ कि 1991 में जब टिहरी में भूकम्प आया था तो उसमें भी मुझे ही राहत कार्यों का दायित्व सौंपा गया था।

मान्यवर, उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार से भूकम्प राहत मंत्री के रूप में यहां आया था, मान्यवर, उस भूकम्प में 703 जानें गईं थीं और मान्यवर, 1999 में जब

भूकम्प आया था तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मुझे भी चमोली और रुद्रप्रयाग जाने का मौका मिला था तो मान्यवर, इन त्रासदियों से निबटने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मान्यवर, ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ था, उनके आँसू अभी तक नहीं पोंछे गये हैं मान्यवर, 1991 के भूकम्प पीड़ितों को पैसा नहीं मिला है, मान्यवर 1999 में जब भूकम्प आया था, तो प्रतिपक्ष की उस समय सरकार थी, उस समय केन्द्र और राज्य में इन्हीं की सरकार थी तो इन्होंने क्या कर दिया? अभी तो हमको 7–8 ही महीने हुए हैं इस सरकार में। मान्यवर, उससे पहले 1998 में मालपा में भूस्खलन हुआ था, वहाँ क्या हुआ? मान्यवर, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने बूढ़ाकेदार में आई समस्या को 2 दिन में ही नियंत्रित कर लिया था मान्यवर, वहां पर 28 मौतें हुई थीं, 99 पशुहानि हुई थी और 153.142 हेक्टेयर कृषि भूमि का नुकसान हुआ था, 288 परिवार इससे प्रभावित हुए थे और कुल जनसंख्या 1248, इस बूढ़ाकेदार की घटना में प्रभावित हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, जो 28 मृतक थे, उनको 28 लाख रुपया तुरन्त चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया, जो गंभीर रूप से घायल थे, 9 व्यक्ति, उन्हें 90 हजार रुपया, प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये उपलब्ध कराया गया और 6.82 लाख रुपया वितरित किया, अहेतुक सहायता में 2 लाख 88 हजार दिया, फसल हानि के लिए 3 लाख 7 हजार रुपया अवमुक्त किया गया। टिहरी जिला प्रशासन को जो धन दिया है, दो करोड़ उनहत्तर लाख रुपया दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि मजदूरों को पेमेन्ट नहीं हुआ है, मैं सम्मानित सदस्य को विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत का संज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में जो भी कार्यदायी संस्थाओं को पैसा दिया गया है, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो या आर0ई0एस0 हो या फिर जिलाधिकारी हो अगर जिस मद का पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया है, जिसको पेमेन्ट देनी थी, उन्हें यदि पेमेन्ट नहीं दी है तो उसको सरकार अपने संज्ञान में रखेगी और उसमें तुरन्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी से कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी प्रश्नकाल के दौरान मैंने सम्मानित सदन को अवगत कराया कि दैवीय आपदा कोष में 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का और 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होता है और गाईडलाइन्स पूरी भारत सरकार की होती हैं। मान्यवर, कभी–कभी मैं खुद महसूस करता हूँ, मेरे विभाग के पास पैसा है फिर भी भारत सरकार की कठोर गाईडलाइन्स के कारण मैं सम्मानित जनता को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सम्मुख इस विषय पर दो घण्टे की चर्चा की कि यदि कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ नियंत्रण और गांवों की सुरक्षा का कार्य कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में स्वयं गृह सचिव को पत्र लिखा है। मैंने भी गृह मंत्री श्री आडवाणी जी को इस विषय पर पत्र लिखा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी भारत सरकार के कृषि मंत्री को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है। मैं इस सम्बन्ध में दिल्ली जाकर स्वयं संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन, श्री आर0के0 सिंह से मिला और मैंने उनसे कहा कि हमारा प्रदेश बहुत ही संवेदनशील है, यहां पर दैवीय आपदाएं निरन्तर आती रहती हैं, इसलिए हमें नये उपकरणों को खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए, बाढ़ नियंत्रण पर पैसा खर्च करने की हमें अनुमति मिलनी चाहिए, किन्तु

उनका कहना था कि हम आपकी सिफारिशों को 11वें वित्त आयोग में शामिल कर सकते हैं, फिलहाल हम गाईडलाइन्स में इसको शामिल नहीं कर सकते। यदि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद होते तो मैं उनसे भी यह आग्रह करता कि वे इस विषय पर हमें सहयोग प्रदान करें। अभी पिछले दिनों एक टाटा सूमो के गिरने पर अखबारों में यह खबर छपी कि सरकार राहत सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही। सच्चाई यह है कि हमने भारत सरकार के सहयोग से नेवी के गोताखोर यहाँ बुलाए तथा मुरादाबाद से पी0ए0सी0 के गोताखोरों को बुलाकर राहत कार्य किया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि आप नये उपकरण क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मैंने उनसे यह कहा कि गाईडलाइन्स इस तरह की हैं कि हम उपकरणों की मरम्मत तो कर सकते हैं किन्तु नये उपकरण खरीद नहीं सकते। तो मान्यवर, जब हम उपकरण खरीद ही नहीं सकते तो उनकी मरम्मत कहाँ से कराएंगे। मान्यवर, यह सत्ता पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, प्रदेश की जनता की समस्याओं को गम्भीरता से लेने का है। माननीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस इस गम्भीर प्रकरण को काफी दिनों से इस सदन में लाना चाहते थे और मैं भी इस विषय पर सरकार का पक्ष रखना चाहता था, गाईडलाइन्स के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के हाथ बँधे हुए हैं।

मान्यवर, बूढ़ाकेदार में 28 मौतें हुईं। यह एक गम्भीर विषय है, यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया जिससे कि इस गम्भीर विषय पर चर्चा न हो सके और सरकार अपना पक्ष न रख सके, हम लोग इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, मुझे उत्तर प्रदेश में भी दो बार सम्मानित सदन का सदस्य होने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सदन पहाड़ के लोगों के लिए अनुकूल सदन नहीं है, उस सदन में बलात्कार, चोरी तथा डकैती की घटनाओं पर ज्यादा बल दिया जाता था। विकास कार्यों में कम बल दिया जाता था। हम चाहते थे कि हमारा एक अलग उत्तरांचल राज्य बने और वहाँ पर हम विकास के कार्यों पर गम्भीरता से चर्चा करेंगे। मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि ऐसा माहौल इस सदन में पैदा नहीं करने दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार अपनी सीमाओं में रहकर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। बूढ़ाकेदार में जो हानि हुई है, उसका प्राक्कलन तैयार करके जिलाधिकारी के माध्यम से भेजें और उस पर जिलाधिकारी का कवरिंग पत्र हो और उस पर लिखा हो कि भू-स्खलन के कारण यह क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं सम्मानित सदस्य को ही नहीं पूरे सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार इसके लिए धन अवमुक्त करके राहत कार्यों में इस प्रदेश के माननीय सदस्यों को सहयोग करेगी। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विषय गम्भीर है, इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है और माननीय सदस्य नियम 56 की अपनी सूचना को वापस लेने को तैयार होंगे। वह जो भी समस्याएं रखेंगे, हम उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बलबीर सिंह नेगी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूँ। मान्यवर, जिसके कारण मैं इस सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री बलबीर सिंह नेगी सदन त्यागकर चले गए)

(कार्यसूची की मद संख्या 16 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री प्रकाश पन्त का नाम पुकारे जाने पर श्री प्रकाश पंत सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 17 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मातबर सिंह कण्डारी का नाम पुकारे जाने पर श्री मातबर सिंह कण्डारी सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 18 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर श्री मदन कौशिक सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 19 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अजय भट्ट का नाम पुकारे जाने पर श्री अजय भट्ट सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 20 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्या विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थीं)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर श्रीमती विजय बड़थ्वाल सदन में उपस्थित नहीं थीं।

[कार्यसूची की मद संख्या 21 (1, 2) के अन्तर्गत श्री काशी सिंह ऐरी एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा, के संकल्प के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे]

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री काशी सिंह ऐरी व श्री मातबर सिंह कण्डारी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय–व्ययक में विशेष प्राविधान किए जाने विषयक संकल्प

श्री कौल दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का यह सुनिश्चित

मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकासखण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय–व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(कार्यसूची की मद संख्या 22 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा, के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 23 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा, के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मातबर सिंह कण्डारी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

(कार्यसूची की मद संख्या 24 के अन्तर्गत श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री बलबीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत सात सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैं कुँवर प्रणव सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

सम्मानित अध्यक्ष जी, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण और मंत्रिगण, यह सदन 13 दिसम्बर, 2002 से चला और आज गैर सरकारी दिवस के रूप में प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत इसको रखा गया। गैर सरकारी दिवस प्रतिपक्ष का होता है परन्तु यह बड़े ही दुख की बात है कि पूरा प्रतिपक्ष यहाँ पर नहीं है। मान्यवर, मैं बड़ी आभारी हूँ कि आपने जिस संयम से और नियमों के अन्तर्गत सदन का संचालन किया, निर्देशित किया। पीठ से निवेदन भी किया और आपने कई बार सदन को स्थगित करके संदेश भी दिया कि बार–बार सदन को स्थगित करना, किसी भी संसदीय परम्परा में, किसी भी प्रदेश के लिए यह गरिमापूर्ण बात नहीं है। मान्यवर, सदन के अन्दर इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुईं कि आपको बाध्य होकर सदन स्थगित करना पड़ा। मान्यवर, आपका यह भी अधिकार था कि आप पूरे सत्र के लिए किसी भी सदस्य को इंगित कर सकते थे।

मान्यवर, आपको यह अधिकार भी था, आप किसी माननीय सदस्य को यह निर्देश दे सकते हैं कि आप 24, 48 तथा 72 घंटे के लिए सदन में भागीदारी नहीं करेंगे तथा आपको यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई माननीय सदस्य अराजकता की सभी सीमाएं लाँघ लेता है तो आप उस सदस्य की सदन की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। मान्यवर,

लोक सभा में यह अधिकार लोक सभा अध्यक्ष को तथा राज्यों में विधान सभा अध्यक्षों को प्राप्त है। मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सदन को चलाया। आपको सदन में प्रवेश करने में कठिनाई हुई, इसके बावजूद आपने पूरे संयम के साथ सदन को चलाया। मैं विपक्ष के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे मंत्रीगण विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर समय तत्पर रहे, इसके लिए उन्हें भी बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, यह भी ऐतिहासिक है कि सदन की उपस्थिति 95–99 प्रतिशत तक रही, जबकि कई बार ऐसा देखने को मिलता था, जब प्रतिपक्ष बैठा रहता था और सत्तापक्ष नहीं बैठा रहता था। नए सदस्यों ने जिस प्रकार से विशेषाधिकार के प्रश्न उठाए, प्रश्न, प्रश्नकाल में रखे थे तथा जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया, इससे यह स्पष्ट हो गया, प्रदेश के विकास में उनकी ललक है।

मान्यवर, प्रतिपक्ष का नेता किसी दल विशेष का नेता नहीं होता है, बल्कि सम्पूर्ण प्रतिपक्ष का नेता होता है। मान्यवर, सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व जितना सत्तापक्ष का है, उतना ही दायित्व प्रतिपक्ष का भी है। प्रतिपक्ष इस मामले में काफी अच्छी स्थिति में होता है प्रश्नकाल उसी का होता है। नियम 56, 300 तथा 301, ये सब अधिकार प्रतिपक्ष के पास अन्तर्निहित होते हैं। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत प्रतिपक्ष हमारे मंत्रीगणों से उत्तर चाहते हैं। मुझे खुशी है, हमारे सभी मंत्रीगण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर समय तत्पर रहे।

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्यों ने एक मर्यादित आचरण करने की परम्परा डाली है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आगामी सत्र में प्रतिपक्ष के सभी नेतागण नियमों के अन्तर्गत कार्य करेंगे। मान्यवर, पीठ के निर्देशों का पालन तो करना ही होता है, अगर पीठ के निर्देशों का पालन नहीं होगा तो सदन नहीं चल सकता है। मान्यवर, सदन तो आपके ही विनिश्चय के आधार पर चलेगा। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मान्यवर, हम कुछ प्रशिक्षण से सीखते हैं और कुछ सदन में व्यवहार से सीखते हैं। मैं समझती हूँ कि आपमें से किसी को विशेष आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है। इसलिए हम आपके ऋणी हैं कि आपने प्रतिपक्ष के सामने एक नजीर प्रस्तुत की। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं विधान सभा के सचिव, अपर सचिव, मार्शल, प्रतिवेदक और अन्य सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करती हूँ। प्रशासन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, अच्छा होता कि सदन और चलता लेकिन आज की परिस्थिति से स्पष्ट है कि सदन और चलने का वातावरण नहीं है। मैं पत्रकार बन्धुओं को भी नहीं भूलूँगी। उन्होंने विपरीत वातावरण के बावजूद संयम से काम किया है। मैं पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष–

सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री, मंत्रिमण्डल के सभी सम्मानित सदस्यगण, माननीय

सदस्यगण, सम्मानित पत्रकार बन्धुओं, दर्शक दीर्घा में बैठे मेरे सभी आदरणीय आगन्तुकगण, इस सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उपस्थित सचिव, विधान सभा, अपर सचिव और कर्मचारी बन्धुओं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। सत्तापक्ष के सम्मानित सदस्यों एवं सरकार के माननीय मंत्रीगणों ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गरिमा के साथ यहाँ पर एक अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत किया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा दायित्व था, जो पीठ का दायित्व था, निश्चित तौर पर मैंने निष्पक्ष रूप में एक मर्यादा के अन्तर्गत सदन को सुचारू रूप से चलाने की, सुव्यवस्थित रूप से चलाने की कोशिश की और नियमों के तहत चलाने का प्रयास किया, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, यह स्पष्ट है। आपने, सबने महसूस किया है, देखा भी है कि पिछले 3 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, सदन में, गैलरी में, मैं उसी का उल्लेख करना चाहता हूँ। आप सबकी कृपा से, सभी दलीय नेताओं के सहयोग से मुझे इस पीठ पर आसीन होने का अवसर मिला है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने हमेशा कोशिश की कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष भावना के और सबका सहयोग लेकर इस सदन को चलाऊँ और आज जो घटा है, निश्चित तौर पर उत्तरांचल एक छोटा राज्य है, जनता की काफी अपेक्षाएं, आशाएं हैं, उनके सपने हैं, उनके दर्द हैं, उनकी पीड़ा है। यह सभी माननीय सदस्यों का एवं सत्तापक्ष का तथा विपक्ष का दायित्व है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह भी एक चिन्तन का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ कि शालीनता, सदाशयता और सरलता को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हमने पूरा अवसर दिया है, प्रतिपक्ष को और यह हमारा दायित्व भी है—एक संरक्षक के रूप में। उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। कदाचित् मुझसे कभी गलती हुई हो। मेरा कहना है कि अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ मैंने किया है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, यह नवगठित राज्य है, और इसमें सहभागिता की आवश्यकता है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी दलीय नेता, किसी सदस्य के प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहता।

पिछले तीन दिनों में जो घटा है। सम्मानित प्रिय श्री टम्टा जी, सम्मानित श्री रावत जी ने जो अवमानना का सवाल उठाया और सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। संसदीय परम्पराओं का निर्वहन कैसे हो, इस पर आपने चिन्ता जताई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगे लोग मर्यादित आचरण सदन में करें। यहाँ नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं हैं, लेकिन एक संदेश जायेगा। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, सभी माननीय सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष, सचिव विधान सभा, अपर सचिव, विधान सभा, समस्त प्रतिवेदकों, विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सत्र के सफल संचालन में अपना योगदान दिया।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अनिश्चितकाल के लिए।

(इसके बाद सदन अपराह्न 2 बजकर 36 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव,
उत्तरांचल विधान सभा।

देहरादून :
दिनांक 18 दिसम्बर, 2002

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 विधान सभा/123–9–7–2003–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।